[2021] 3 एस. सी. आर 806

सेशनाथ सिंह और ए. एन. आर.

वी.

बैदयावती शेराफुली कंपनी-ऑपरेटिव बैंक

लिमिटेड। AND ANDR।

(2019 की सिविल अपील संख्या 9198)

22 मार्च, 2021

[इंदिरा बनर्जी और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

सभी हितधारकों का हित। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एस. 7-इसके तहत आवेदन-जब कोई कॉर्पोरेट देनदार चूक करता है, तो एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या खुद कॉर्पोरेट देनदार कर सकता है।

ऐसे निगमित देनदार के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करना, इस तरह से कि आई. बी. सी. के अध्याय II में प्रावधान किया गया है-एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, निर्णय लेने से पहले एक निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है।

प्राधिकरण, जब एक डिफ़ॉल्ट हुआ है-एस के तहत एक आवेदन के लिए ट्रिगर बिंदु। 7 आई. बी. सी. एक डिफ़ॉल्ट की घटना है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एन. सी. एल. टी. के समक्ष संहिता के तहत किए गए आवेदन पर सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता-आयोजितः एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. के तहत आवेदन के लिए सीमा अधिनियम, 1963 में निर्धारित सीमा की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है-एक आवेदन जिसके लिए अनुसूची में कहीं और सीमा की अवधि प्रदान नहीं की गई है, कला द्वारा शासित है। 137 सीमा अधिनियम की अनुसूची-कला के तहत। 137 अनुसूची से सीमा अधिनियम, इस तरह के आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि आवेदन करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है-सीमा अधिनियम, 1963-अनुच्छेद। 137 .

806 सेशनाथ सिंह बनाम। बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

सीमा अधिनियम, 1963: एस. 5-अपील दायर करने में देरी/कोई भी आवेदन - सीमा अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि किसी भी अपील या किसी भी आवेदन के अलावा, किसी भी के तहत एक आवेदन

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के प्रावधानों को सीमा की निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास अपील को प्राथमिकता नहीं देने या आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण था।

अवधि-एस में स्पष्टीकरण। 5 सीमा अधिनियम का यह तथ्य स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी या आवेदक को उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश, व्यवहार या निर्णय से गुमराह किया गया होगा।

या निर्धारित अवधि की गणना, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण हो सकता है।

सीमा अधिनियम, 1963: एस. 5-आवेदन या अपील दायर करने में देरी की क्षमा-क्षमा के लिए पूर्ववर्ती शर्त

आवेदन या अपील दायर करने में देरी, पर्याप्त कारण का अस्तित्व है-क्या देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण 'पर्याप्त कारण' होगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा-इसके लिए कोई सीधा सूत्र नहीं हो सकता है।

कदम उठाने में देरी के लिए आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करना-दिए गए स्पष्टीकरण की स्वीकृति नियम होना चाहिए और इनकार एक अपवाद होना चाहिए, जब चूक करने वाले पक्ष पर कोई लापरवाही या निष्क्रियता या वास्तविक इच्छा का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

सीमा अधिनियम, 1963: एस. 5-आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता, अनिवार्य एस. नहीं। 5 सीमा अधिनियम किसी की बात नहीं करता है आवेदन-हालाँकि, एस के तहत औपचारिक आवेदन करना सामान्य प्रथा है। 5 , न्यायालय या न्यायाधिकरण को अपीलार्थी/आवेदक की सीमा द्वारा निर्धारित समय के भीतर न्यायालय/न्यायाधिकरण से संपर्क करने में असमर्थता के कारण की पर्याप्तता पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए, औपचारिक आवेदन के अभाव में न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा देरी को माफ करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं है।

- एस का एक सादा पठन। 5 यह स्पष्ट करता है कि उक्त धारा के तहत राहत दिए जाने से पहले लिखित में आवेदन दायर करना अनिवार्य नहीं है-यदि ऐसा आवेदन अनिवार्य होता, सीमा अधिनियम की धारा 5 में स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान किया गया होगा।

सीमा अधिनियम, 1963: धारा 14 (2)-सीमा अवधि के परिवर्त्तन के लिए अवधि का बहिष्करण-आयोजित: अवधि की गणना में किसी भी आवेदन के लिए सीमा, वह समय जिसके दौरान याचिकाकर्ता [2021] 3 एस. सी. आर.

उसी राहत के लिए, किसी अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की अदालत में हो, या उसी पक्ष के खिलाफ अपील या संशोधन की, पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा हो, को बाहर रखा जाएगा, जहां ऐसी कार्यवाही पर किसी ऐसे न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो दोषपूर्ण है।

अधिकारिता या समान प्रकृति का अन्य कारण, मनोरंजन करने में असमर्थ है

आई. टी.-अपवर्जन की शर्तें यह हैं कि पूर्ववर्ती कार्यवाहियां

उसी राहत के लिए होनी चाहिए थी, कार्यवाही पर लगन और सद्भावना से मुकदमा चलाया जाना चाहिए था और कार्यवाही पर एक ऐसे मंच पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से इसे स्वीकार करने में असमर्थ था-जहां ऐसी कार्यवाही समाप्त हो गई है, एस के तहत बहिष्करण का दावा करने की बाहरी सीमा। 14 यह वह तारीख होगी जिस दिन कार्यवाही समाप्त होगी।

सीमा अधिनियम, 1963: एस. 14-एक आवेदन के लिए प्रयोज्यता

एस के तहत। 7 आई. बी. सी. का-आयोजितः विधायिका ने अपने विवेक में सीमा अधिनियम के प्रावधानों को एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही के लिए शब्दशः लागू नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन जानबूझकर 'के रूप में' शब्दों का उपयोग किया है।

जहां तक हो सके '-जहां तक हो सके' शब्द विषम नहीं हैं उन शब्दों को उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे विधान की विषय वस्तु और उस उद्देश्य के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य रखते हैं जो विधानमंडल के विचार में है-अदालतें उन शब्दों की व्याख्या नहीं करेंगी जो 'जहां तक हो सके' एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों को विफल कर देंगी।

शब्

द, शब्द

अन्य

सीमा अधिनियम के प्रावधान एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी.-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-एस में आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होंगे। 238 प्रतिभूतिकरण और

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: s.238A शब्द 'के रूप में

जहाँ तक हो सके '-का अर्थ-आयोजितः 'जहाँ तक हो सके' शब्दों का उपयोग, एस में हो रहा है। 238 आई. बी. सी. में से ए. उक्त धारा में 'होगा' शब्दों की कठोरता को कम करता है जिसे आम तौर पर अनिवार्य माना जाता है-'जहां तक हो सके' अभिव्यक्ति इस तथ्य का संकेत है कि सीमा अधिनियम के सभी या कोई भी प्रावधान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं हो सकते हैं यदि वे आई. बी. सी. के कुछ प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से असंगत हैं-साथ ही, 'सेशत सिंह बनाम' के रूप में शब्द।

बैदयावती शेराफुली को

ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

जहाँ तक हो सके 'को एस के मूल सिद्धांतों की आवश्यकताओं के कुल बहिष्करण के रूप में नहीं माना जा सकता है। 14 सीमा अधिनियम,

लेकिन एक व्यापक, अधिक उदार, प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण की अनुमति देता है

आवश्यक संशोधन द्वारा व्याख्या, जो उक्त धारा के सिद्धांतों के अनुरूप है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002: धारा 13 (4) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, धारा 13 के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है। 14 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम, एक दीवानी न्यायालय/निष्पादन न्यायालय के रूप में कार्य करता है-इसलिए, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही को अदालत में दीवानी कार्यवाही माना जाएगा। 13 (4) एस के तहत डी. आर. टी. को अपील की जा सकती है। 18 सरफेसी अधिनियम -

तर्क कि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही एस के तहत बहिष्करण के लिए योग्य नहीं होगी। 14 सीमा अधिनियम, क्योंकि वे

दीवानी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की गई थी, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

सीमा अधिनियम, 1963: एस. 14-एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के दायरे और दायरे को ध्यान में रखते हुए,

एस में अभिव्यक्ति 'कोर्ट'। 14 (2) किसी भी न्यायाधिकरण या इसके तहत किसी भी मंच सहित दीवानी कार्यवाही के लिए कोई भी मंच माना जाएगा। सरफेसी अधिनियम-प्रतिभूतिकरण और वित्तीय पुनर्गठन

परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002।

सीमा अधिनियम, 1963: एस. 5 और एस. 14 - एस. 5 और एस. 14 सीमा अधिनियम पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं-यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां एस। 14 एस के सिद्धांतों को सख्ती से लागू नहीं करता है। 14 एस के तहत एक आवेदक को राहत देने के लिए लागू किया जा सकता है। 5 द्वारा सीमा अधिनियम

उद्देश्यपूर्ण रूप से 'पर्याप्त कारण' का अर्थ लगाना-यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कानून के सही खंड को संदर्भित करने में चूक एक आदेश को दूषित नहीं करती है-देरी को इस बात की परवाह किए बिना माफ किया जा सकता है कि कोई औपचारिक आवेदन है या नहीं, अगर देरी के लिए पर्याप्त कारण का खुलासा करने वाली रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है-NCLAT ने NCLT के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से सही ढंग से इनकार कर दिया-NCLT के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया है, आई. बी. सी. का उद्देश्य [2021] 3 एस. सी. आर. से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है।

निगमित व्यक्तियों का पुनर्गठन और दिवाला समाधान,

ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और संतुलन के लिए समयबद्ध तरीके से साझेदारी फर्म और व्यक्ति

सभी हितधारकों का हित। दिवाला और दिवालियापन के समय पर समाधान के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा ऋण बाजारों के विकास में सहायता करेगा और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। यह व्यवसाय को भी आसान बनाएगा और अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करेगा जिससे उच्च आर्थिक विकास और विकास होगा। आई. बी. सी. एन. सी. एल. टी. और डी. आर. टी. को दिवाला, परिसमापन और शोधन क्षमता के समाधान के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में नामित करना चाहता है।

दिवालियापन। [पैरा 35] [829-ए-सी]

2.1 आई. बी. सी. की धारा 6 में प्रावधान है कि, जब कोई भी निगम

देनदार एक चूक करता है, एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या कॉर्पोरेट देनदार स्वयं ऐसे कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जैसे कि आई. बी. सी. के अध्याय II में प्रदान किया गया है। एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से कर सकता है।

ऋणदाता, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए एक आवेदन दायर करते हैं न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष किसी निगमित देनदार के विरुद्ध, जब कोई चूक हुई हो। एक अनुप्रयोग के लिए प्रेरक बिंदु

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक डिफ़ॉल्ट की घटना है। [पारस 36,38] [829-सी-डी; 831-एफ-जी

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक और एक और (2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एससीआर 33-निर्भर

पर।

2.2 सीमा अधिनियम 1963, मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों की सीमा के कानून को और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। सीमा अधिनियम "मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों और उनसे जुड़े उद्देश्यों के लिए" लागू होता है जैसा कि इसकी प्रस्तावना में कहा गया है। अभिव्यक्ति "अन्य कार्यवाहियाँ" अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियाँ हैं - और/या सूट से संबंधित। हालाँकि, विभिन्न कानूनों ने निगमन या निगमन द्वारा सीमा अधिनियम के प्रावधानों को अपनाया है।

संदर्भ, या तो पूरी तरह से या सीमित सीमा तक। उदाहरण के लिए, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 37 में प्रावधान किया गया है कि सभी सेशत सिंह बनाम।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 के प्रावधान मध्यस्थता पर उसी तरह लागू होंगे जैसे वे न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 433 में प्रावधान है कि सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान, जहां तक हो सके, कार्यवाही पर लागू होंगे।

या न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, जैसा भी मामला हो। [पारस 45,47] [835-ई-एफ; 836-ए-बी]

के. वेंकटेश्वर राव और अन्र। वी. बेक्कम नरसिम्हा रेड्डी और अन्य। ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 872 [1969] एस. सी. आर. 679; नित्यानंद एम. जोशी और अन्य बनाम जीवन बीमा

भारतीय निगम (1969) 2 एस. सी. सी. 199 : [1970] 1 एस. सी. आर. 396 संदर्भित है।

2.3 निगम मंत्रालय की दिवाला समिति

इस तरह के आवेदन के लिए निर्धारित समय आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होने की तारीख से तीन साल है। [पैरा 51] [836-जी] 3.2 इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि धारा 7 के तहत आवेदन करने के लिए सीमा की अवधि या

9 आई. बी. सी. की अवधि मुकदमा दायर करने के अधिकार की प्राप्ति की तारीख से तीन साल है, यानी चूक की तारीख। [पैरा 52] [836-एच] [2021] 3 एस. सी. आर.

[2019] 13 एससीआर 224-पर निर्भर।

3.3 सीमा अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि कोई भी अपील

या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन के अलावा किसी भी आवेदन को निर्धारित अवधि की सीमा के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास पर्याप्त था।

ऐसी अवधि के भीतर अपील या आवेदन करने को प्राथमिकता नहीं देने का कारण। सीमा अधिनियम की धारा 5 में स्पष्टीकरण

यह स्पष्ट करता है कि, यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक के पास हो सकता है

निर्धारित अवधि का पता लगाने या गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश, व्यवहार या निर्णय से गुमराह किया गया है,

इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण। [पैरा 53] [837-बी-डी]

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग

गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एस. सी. सी. 633: [2018] 12

एस. सी. आर. 794-निर्भर।

राधा एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम के. पी. जयराम और अन्र. (2020) 10 एस. सी. सी. 538; बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और एक और (2020) 15 एस. सी. सी. 1-संदर्भित।

4.1 आई. बी. सी. की धारा 238 ए में प्रावधान है कि सीमा अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे। एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के पास सीमा की निर्धारित अवधि के बाद आवेदन/अपील पर विचार करने का विवेकाधिकार है। इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्त सीमा द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपील और/या आवेदन को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण का अस्तित्व है। [पैरा 58,59]

[838 - डी-ई]

रामलाल मोतीलाल और छोटेलाल बनाम। रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड

ए. आई. आर 1962 एस. सी 361: [1962] एस. सी. आर. 762; मद्रास उच्च न्यायालय ने कृष्णा बनाम. चट्टप्पन 1890 आई. एल. आर. मैड 269; शकुंतला देवी जैन बनाम कुंतल कुमार ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 575 [1969] एस. सी. आर. 1006; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। प्रशासक, हावड़ा नगरपालिका और अन्य (1972)

1 एससीसी 366: [1972] 2 एस. सी. आर. 874-निर्भर।

सेशनाथ सिंह बनाम। बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

4.2 आवेदन या अपील दायर करने में देरी की क्षमा के लिए पूर्ववर्ती शर्त, पर्याप्त का अस्तित्व है कारण। देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण 'पर्याप्त कारण' होगा या नहीं, यह तथ्यों पर निर्भर करेगा।

4.3 यह सच है कि सीमा कानून द्वारा दूसरे पक्ष को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हो सकता है, जिसे नियमित तरीके से देरी को माफ करके हल्के में पराजित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, जब दांव अधिक होते हैं, तो स्पष्टीकरण को मामले के पांडित्यपूर्ण और अति तकनीकी दृष्टिकोण से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जिससे उस पक्ष को अपूरणीय नुकसान और चोट पहुंचती है जिसके खिलाफ एल. आई. एस. समाप्त होता है। अदालतों को संबंधित पक्षों के वैध अधिकारों और हितों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। [पैरा 62] [839-ए-बी]

4.4 सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 किसी भी आवेदन की बात नहीं करती है। धारा न्यायालय को यह स्वीकार करने में सक्षम बनाती है कि

एन. सी. एल. टी. में आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के लिए धारा 6 या 14 या 18 या सीमा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का आवेदन / एनसीएलएटी। सीमा अधिनियम के सभी प्रावधान लागू हैं [2021] 3 एस. सी. आर.

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही तक, जहां तक संभव हो। कोई कारण नहीं है कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 या 18 आई. बी. सी. की धारा 7 या धारा 9 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होनी चाहिए। [पारस 67,68] [840-जी-एच; 841-ए]

5.2 सीमा अधिनियम की धारा 14 (2) में प्रावधान है कि किसी भी आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, समय

जिस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता उचित परिश्रम के साथ अभियोजन कर रहा था, उसी राहत के लिए एक अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की अदालत में हो, या उसी पक्ष के खिलाफ अपील या संशोधन की, को बाहर रखा जाएगा, जहां ऐसी कार्यवाही की जाती है।

एक अदालत में सद्भावना से मुकदमा चलाया गया जो, के दोष से अधिकारिता या समान प्रकृति का अन्य कारण, इसे मनोरंजन करने में असमर्थ है। अपवर्जन की शर्तें यह हैं कि पूर्ववर्ती कार्यवाहियां

उसी राहत के लिए होनी चाहिए थी, कार्यवाही पर लगन और सद्भावना से मुकदमा चलाया जाना चाहिए था और कार्यवाही पर एक ऐसे मंच पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से इसे स्वीकार करने में असमर्थ था। [पैरा 70] [841-डी-ई]

उद्यम बनाम। प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग और अन्य। (2008) 7 एससीसी 169: [2008] 5 एससीआर 1108; आयुक्त, एम. पी. आवास बोर्ड और अन्य। वी. मोहनलाल एंड कंपनी (2016) 14 एस. सी. सी. 199-पर भरोसा किया।

भारत संघ बनाम। लोकप्रिय निर्माण कंपनी (2001) 8 एस. सी. सी. 470 [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 619-संदर्भित।

6.1 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 14 आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन पर लागू होती है। आई. बी. सी. इसमें शामिल नहीं है।

6.2 भले ही यह माना जाए कि धारा 14 का लाभ आई. बी. सी. के तहत एक आवेदक को कार्यवाही के लिए उपलब्ध होगा। ईमानदारी से शुरू किया गया और सरफेसी अधिनियम के तहत उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाया गया, इस अपील में उठाया गया एक और सवाल यह है कि क्या सेश नाथ सिंह बनाम।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

6.3 सीमा अधिनियम की धारा 14 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। धारा 14 की उप-धारा (1), (2) और (3) के संयुक्त और सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एक आवेदक जिसने मुकदमा चलाया है। उचित परिश्रम के साथ एक अन्य दीवानी कार्यवाही, एक मंच के समक्ष जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के किसी अन्य कारण के कारण उसी पर विचार करने में असमर्थ है, उस समय को हटाने का हकदार है जिसके दौरान आवेदक इस तरह का मुकदमा चला रहा था।

आगे बढ़ते हुए, सीमा की अवधि की गणना में। मूल बात

धारा 14 की उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों में यह नहीं कहा गया है कि धारा 14 को केवल समाप्त करने पर लागू किया जा सकता है। पूर्ववर्ती कार्यवाहियों पर सद्भावना से मुकदमा चलाया गया। [पैरा 77] [846-बी-डी]

बिहटा को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट केन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड और अन्र। वी. बैंक ऑफ बिहार एंड ओआरएस। आकाशवाणी 1967 एससी 389: 1967 एस. सी. आर. 848; सुंदरम पिल्लई और अन्य बनाम। वी. आर. पट्टाबीरमन और अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 591: [1985] 2 एस. सी. आर. 643-संदर्भित।

7.1 स्पष्टीकरण (ए) का संकीर्ण पांडित्यपूर्ण तरीके से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि धारा 14 को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक और

जब तक कि पहले की कार्यवाहियों को वास्तव में अधिकार क्षेत्र के अभाव या ऐसी प्रकृति के अन्य कारणों से समाप्त नहीं किया गया है। स्पष्टीकरण (क), जो स्पष्टीकरणात्मक है, केवल निष्कासन की अवधि को दीक्षा की तारीख और दीक्षा की तारीख के बीच की अवधि तक सीमित करता है।

समाप्ति। एक आवेदक आगे किसी भी बहिष्करण का दावा नहीं कर सकता है। [पैरा 81] [847-ई]

7.2 धारा 14 में कार्यवाही में बिताए गए समय को शामिल नहीं किया गया है।

गलत मंच, जो अधिकार क्षेत्र के अभाव या ऐसे अन्य कारणों से कार्यवाही का मनोरंजन करने में असमर्थ है। जहां ऐसी कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं, धारा 14 के तहत बहिष्करण का दावा करने की बाहरी सीमा वह तारीख होगी जिस दिन कार्यवाहियां समाप्त हुईं।

मामले में, सर्फेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं हो सकती है

औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, प्रथम दृष्टया इस संतुष्टि पर कि वित्तीय लेनदार, जो एक सहकारी बैंक है, द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना थी। कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर रिट याचिका का लगभग चार साल बाद भी निपटारा नहीं किया गया था। कार्यवाही का संचालन कॉर्पोरेट देनदार के पास था। अंतरिम आदेश तब भी लागू था, जब आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय लेनदार सरफेसी अधिनियम के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ था। [पारस 84,85] [848-सी-ई]

7.3 तत्काल मामले में, भले ही यह माना जाता है कि मुकदमा करने का अधिकार 31.3.2013 पर अर्जित किया गया है जब कॉर्पोरेट का खाता

कर्जदार को एन. पी. ए. घोषित किया गया, वित्तीय लेनदार ने शुरुआत की

18 जनवरी 2014 को सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही, जिस तारीख को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया था, उसी के साथ आगे बढ़ी, और यहां तक कि संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले लिया, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा पूरी कार्यवाही पर रोक नहीं लगा दी गई।

इसका आदेश दिनांक 24 जुलाई 2017 को दिया गया था। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही 10 जुलाई 2018 को शुरू की गई थी। [पैरा 86] [848-एफ] 7.4 चूंकि उच्च न्यायालय में कार्यवाही अभी भी एन. सी. एल. टी. में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की तारीख पर लंबित थी, इसलिए एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद की पूरी अवधि को बाहर रखा जा सकता है। अगर

सर्फेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू होने की तारीख से लेकर एन. सी. एल. टी. में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की तारीख तक की अवधि को बाहर रखा गया है, एन. सी. एल. टी. में आवेदन तीन साल की सीमा के भीतर है। भले ही धारा 13 (2) के तहत नोटिस की तारीख और उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की तारीख के बीच की अवधि

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही, अधिकार क्षेत्र की कमी के प्रथम दृष्टया आधार को बाहर रखा गया है, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही अभी भी तीन साल की सीमा के भीतर है। [पैरा 87]

[848 - जी-एच; 849-ए-बी]

7.5 आई. बी. सी. के तहत एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऋण के संग्रह के लिए एक विकल्प मंच नहीं है, इस मायने में कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। उन ऋणों को फिर से खोलें जो कानून द्वारा वर्जित हैं, या ऋण, जिनकी वसूली समय वर्जित हो गई है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी सेश नाथ सिंह बनाम नहीं करता है।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

निगमित ऋणदाता और सीमा अधिनियम 1963 के प्रावधान, जहां तक हो सके, आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर लागू किए गए हैं, कोई कारण नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 या 18 सीमा की अवधि की गणना के उद्देश्य से लागू नहीं होगी। [पैरा 88] [849-बी-डी] 8.1 मध्यस्थता अधिनियम, 1940 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 जैसे कानूनों के विपरीत, जो प्रावधान बनाते हैं

सीमा अधिनियम, जैसा कि वे न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होते हैं, जो मध्यस्थता कार्यवाही पर भी लागू होते हैं, आई. बी. सी. की धारा 238 ए सीमा अधिनियम को एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. की कार्यवाही पर 'जहां तक हो सके' और/या दूसरे शब्दों में, उस हद तक लागू करती है जब तक वे लागू किए जा सकते हैं। [पैरा 90] [849-एफ-जी]

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही, लेकिन सचेत रूप से 'जहाँ तक हो सके' शब्दों का उपयोग किया। 'जहाँ तक हो सके' शब्दों का अर्थ असंगत नहीं है। उन शब्दों को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसे वे विधान की विषय वस्तु और उस उद्देश्य के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य बनाते हैं जो विधानमंडल की दृष्टि में है। अदालतें उन शब्दों की व्याख्या नहीं करेंगी जो 'जहां तक हो सके' एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों को विफल कर देंगे। दूसरे शब्दों में, सीमा अधिनियम के प्रावधान एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर मुतातिस उत्परिवर्तन लागू करेंगे। [पारस 91,92] [849-एच; 850-ए-सी]

न्यू इंडिया शुगर मिल लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त, बिहार ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1207 [1963] पूरक। एससीआर 459 ; बुशिंग श्मिटज़ प्राइवेट लिमिटेड बनाम पी. टी. मेंघानी एयर 1977 एस. सी. 1569: [1977] 3 एस. सी. आर. 312-पर निर्भर।

8.3 न्यायालय को एक उद्देश्य उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि विधायी निरर्थकता पर शासन किया जाना है [2021] 3 एस. सी. आर.

जब तक व्याख्यात्मक संभावना अनुमति देती है। वस्तु उन्मुख दृष्टिकोण को उस हद तक नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि उपयोग की जाने वाली सादे भाषा में हिंसा करने के लिए, खंड को फिर से लिखने या उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक शब्दों के स्थान पर शब्दों को प्रतिस्थापित करके नहीं किया जा सकता है।

9.1 आई. बी. सी. की धारा 238 ए में आने वाले 'जहां तक हो सके' शब्दों का उपयोग, आई. बी. सी. में 'होगा' शब्दों की कठोरता को कम करता है। उपरोक्त धारा जिसे आम तौर पर अनिवार्य माना जाता है। 'जहाँ तक हो सके' अभिव्यक्ति इस तथ्य का संकेत है कि सभी या

अधिनियम, लेकिन आवश्यक संशोधन द्वारा एक व्यापक, अधिक उदार, प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की अनुमति देता है, जो उक्त धारा के सिद्धांतों के अनुरूप है। [पैरा 94] [850-ई-जी] 9.2 यदि आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत कार्यवाही के संदर्भ में, धारा 14 की व्याख्या कठोर और पांडित्यपूर्ण तरीके से की जानी थी।

इसके शाब्दिक अर्थ का पालन, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि केवल न्यायालय में दीवानी कार्यवाहियों को बहिष्कृत किया जाएगा, परिणाम यह होगा कि

आवेदक आई. बी. सी. के उसी प्रावधान के तहत पहले के आवेदन का आह्वान करने और लगन से पीछा करने में बिताए गए समय की अवधि को उसी राहत के लिए, एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष, जिसमें क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी है, को हटाने का भी हकदार नहीं होगा। यह संभवतः विधायी इरादा नहीं हो सकता था। [पैरा 95] [850-जी-एच; 851-ए-बी]

एस. ए. एल. नारायण राव और अन्र। वी. ईश्वरलाल भगवानदास

और एन. आर. ए. आई. आर. 1965 एस. सी 1818: [1966] एससीआर 190 -

पीछा किया।

9.3 सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही निस्संदेह दीवानी कार्यवाही है। [पैरा 96] [851-बी]

9.4 इस दृष्टिकोण के लिए कोई तर्क नहीं है कि एक सुरक्षित लेनदार द्वारा उधारकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही

अपनी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सरफेसी अधिनियम को दीवानी कार्यवाही की श्रेणी से बाहर रखने का इरादा था।

[पैरा 97] [851-एच; 852-ए] सेश नाथ सिंह बनाम।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और ओआरएस। (2010) 8 एस. सी. सी. 110 [2010] 9 एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

9.5 भले ही सरफेसी अधिनियम की धारा 13 एक सुरक्षित लेनदार को अपने पक्ष में बनाए गए सुरक्षा हित को लागू करने में सक्षम बनाती है, लेकिन अदालत या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, सरफेसी अधिनियम अदालतों और/या न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप को पूरी तरह से बाहर नहीं करता है। [पैरा 98] [852-डी-ई]

10.1 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक दीवानी न्यायालय/निष्पादन के रूप में कार्य करता है।

अदालत। इसलिए, सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही को अदालत में दीवानी कार्यवाही माना जाएगा। इसके अलावा, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कार्यवाही एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 18 के तहत डी. आर. टी. को अपील करने योग्य है। तर्क है कि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं होगी

सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत अपवर्जन के लिए अर्हता, क्योंकि वे कार्यवाहियां दीवानी न्यायालय में आयोजित नहीं की गई थीं, उन्हें कायम नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 99] [857-सी-डी]

10.2 समान राहत के लिए, किसी अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह प्रथम दृष्टया किसी न्यायालय में हो या पक्षकार के खिलाफ अपील या संशोधन की, का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि सीमा अधिनियम की धारा 238ए की भाषा और अवधि को ध्यान में रखते हुए, जो सीमा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है, उसी तरह की राहत के लिए उसी पक्षकार के खिलाफ किसी भी दीवानी कार्यवाही को, चाहे वह प्रथम दृष्टया हो, या अपीलीय, या पुनरीक्षण संबंधी, किसी मंच में शामिल किया जाए।

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही के लिए। [पैरा 100] [857-ई]

10.3 एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के दायरे और दायरे को ध्यान में रखते हुए, धारा 14 (2) में 'न्यायालय' अभिव्यक्ति को किसी भी न्यायाधिकरण या किसी भी मंच सहित दीवानी कार्यवाही के लिए कोई भी मंच माना जाएगा।

सरफेसी अधिनियम। [पैरा 101] [857-एफ]

सख्ती से लागू नहीं होता है, धारा 14 के सिद्धांतों को सीमा की धारा 5 के तहत एक आवेदक को राहत देने के लिए लागू किया जा सकता है। उद्देश्यपूर्ण रूप से 'पर्याप्त कारण' समझकर कार्य करें। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी क़ानून के सही खंड को संदर्भित करने की चूक अदालत की रिपोर्ट के ऊपर नहीं है।

[20

21] 3 एस. सी

एक आदेश खराब करें। पुनरावृत्ति की कीमत पर यह दोहराया जाता है कि डी को माफ किया जा सकता है, भले ही कोई फॉर्म आवेदन हो, अगर रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है जो देरी के लिए पर्याप्त कारण का खुलासा करती है। [पैरा 102] [857-जी-एच; 858-ए]

10.5 एन. सी. एल. ए. टी. ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

एन. सी. एल. टी. के समक्ष एन. सी. एल. टी. का निर्णय और आदेश हस्तक्षेप की गारंटी देता है। [पैरा 103] [858-ए]

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड v. कीरूसा सॉफ्टवेयर

प्राइवेट लिमिटेड (2018) 1 एस. सी. सी. 353: [2017]

10 एससीआर 1006; एम/एस। रिलायंस परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड v. एम/एस। होटल पून्जा इंटरनेशनल

प्राइवेट लिमिटेड 2020 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलएटी 920 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 10 एससीआर 1006

पैरा 28

संदर्भित किया गया है

[2017] 8 एससीआर 33

उस पर भरोसा करें

पैरा 39

[1969] एससीआर 679

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

[1970] 1 एससीआर 396

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

[2019] 13 एससीआर 224

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

[2018] 12 एससीआर 794

उस पर भरोसा करें

पैरा 54

(2020) 10 एस. सी. सी. 538

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

(2020) 15 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

[1962] एससीआर 762

उस पर भरोसा करें

पैरा 60

[1969] एससीआर 1006

उस पर भरोसा करें

पैरा 60

[1972] 2 एससीआर 874

उस पर भरोसा करें

पैरा 60

[2006] 3 पूरक। एससीआर 288

उस पर भरोसा करें

पैरा 71

[2001] 3 पूरक। एससीआर 619

पै

रा 71

संदर्भित किया गया है

[2008] 5 एससीआर 1108

उस पर भरोसा करें

पै

रा 72

(2016) 14 एससीसी 199

उस पर भरोसा करें

पैरा 74

[1967] एससीआर 848

संदर्भित किया गया है

पै

रा 78

[1985] 2 एससीआर 643

पै

रा 79

सेशनाथ सिंह वी. को संदर्भित किया गया। बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

[1963] पूरक। एससीआर 459

उस पर भरोसा करें

पैरा 92

[1977] 3 एससीआर 312

उस पर भरोसा करें

पैरा 93

[1966] एससीआर 190

पीछा किया।

पैरा 96

[2010] 9 एससीआर 1

पैरा 97

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 9198

2019 से।

राष्ट्रीय संविधान के 22.11.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 672 में कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री पल्लवी लंगर, सुश्री पौषाली

बनर्जी, आदित्य वैभव सिंह, अपीलार्थियों के वकील।

प्रणय अग्रवाल, सुश्री अंकिता बैद, राजीव सिंह, जे. साई दीपक,

अविनाश कुमार शर्मा, उमंग श्रीवास्तव, सुश्री अंजलि गुप्ता, राजीव

सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

इंदिरा बनर्जी, जे. दिवाला और दिवालियापन की धारा 62 के तहत यह अपील

संहिता 2016, जिसे इसके बाद 'आई. बी. सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है, राष्ट्रीय कंपनी द्वारा 22 नवंबर 2019 को पारित एक निर्णय और आदेश के खिलाफ है। विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर 2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) No.672 को खारिज करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.), कोलकाता पीठ के 25 अप्रैल 2019 के एक आदेश को चुनौती दी।

प्रत्यर्थी संख्या 1 वित्तीय लेनदार के रूप में, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत सी. पी. (आई. बी.) No.1202/के. बी./2018 है, जिससे कॉर्पोरेट देनदार, डेबी फैबटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू की गई है।

2. निगमित देनदार अन्य बातों के साथ-साथ व्यवसाय में लगा हुआ था।

वस्त्रों और वस्त्रों का निर्यात। 8 फरवरी 2012 को या उसके आसपास, कॉर्पोरेट देनदार ने वित्तीय लेनदार से रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) की नकद ऋण सुविधा के लिए अनुरोध किया।

3. 15 फरवरी, 2012 के मंजूरी पत्र द्वारा, वित्तीय

लेनदार ने कॉर्पोरेट देनदार को रु. 1,00,00,000/- की नकद क्रेडिट सुविधा प्रदान की, जिसके बाद [2021] 3 एस. सी. आर. में एक नकद क्रेडिट खाता No.482 खोला गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित देनदार का नाम। निगमित ऋणदाता ने 17 फरवरी, 2012 को वित्तीय ऋणदाता के साथ एक काल्पनिक समझौते को विधिवत निष्पादित किया।

4. वित्तीय लेनदार के अनुसार, मई 2012 में ही कॉर्पोरेट देनदार ने वित्तीय विभाग को अपने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की।

लेनदार, वित्तीय लेनदार द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को दी गई नकद ऋण सुविधा के संदर्भ में। उक्त नकद क्रेडिट खाता No.482 अनियमित हो गया। वित्तीय लेनदार ने उक्त खाते की घोषणा की

31 मार्च 2013 को निगमित देनदार एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन. पी. ए.)।

अधिनियम ', निगमित देनदार से वित्तीय लेनदार को नोटिस की तारीख से साठ दिनों के भीतर रुपये की अपनी बकाया देनदारी का पूरा निर्वहन करने के लिए कहता है, जिसमें ब्याज भी शामिल है, ऐसा न करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कार्रवाई की जाएगी। 6. कॉर्पोरेट देनदार ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (3ए) के तहत वित्तीय लेनदार को दिनांक 3.3.2014 का अभ्यावेदन दिया।

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस पर आपत्ति जताते हुए।

7. 15 जुलाई 2014 के एक पत्र द्वारा, वित्तीय लेनदार ने कॉर्पोरेट देनदार के उपरोक्त प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया और एक बार फिर

कॉरपोरेट देनदार से अनुरोध किया गया है कि वह उक्त पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर, भुगतान की तारीख तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ 18 जनवरी 2014 के नोटिस में दावा किए गए रुपये 1,07,88,536.00 की बकाया राशि का भुगतान करें और नकद क्रेडिट खाते No.482 को नियमित करें। वित्तीय लेनदार से बेहतर सेवाओं का लाभ उठाना।

8. 13 दिसंबर 2014 को वित्तीय लेनदार ने एक नोटिस जारी किया जिसका संदर्भ सं। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) (ए) के तहत निगमित देनदार को एच. सी./1180/14-15 दिनांक 13.12.2014

ऋणदाता अनुसूची में विस्तृत रूप से सुरक्षित अचल संपत्तियों का शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देगा, जिसमें विफल रहने पर वित्तीय लेनदार उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए हुगली के जिला मजिस्ट्रेट की सहायता लेने के लिए मजबूर होगा।

9. 19 दिसंबर 2014 को या उसके आसपास, कॉर्पोरेट देनदार ने सेशत सिंह बनाम के अनुच्छेद 226 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट आवेदन दायर किया।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

भारत का संविधान 2014 का डब्ल्यू. पी. No.33799 (डब्ल्यू) होने के नाते अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय लेनदार द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (4) के तहत जारी किए गए उक्त नोटिसों को चुनौती देता है।

10. जबकि उक्त रिट याचिका उच्च न्यायालय में लंबित थी, वित्तीय लेनदार के अधिकृत अधिकारी ने 24 तारीख को एक नोटिस जारी किया

दिसंबर 2014, कॉर्पोरेट देनदार, गारंटरों और आम जनता को सूचित करते हुए कि वित्तीय लेनदार का अधिकृत अधिकारी एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत 24 दिसंबर 2014 को उक्त सूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट देनदार की सुरक्षित संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया था।

11. 11 मई 2017 को हुगली के जिला मजिस्ट्रेट ने वित्तीय लेनदार द्वारा कब्जा करने के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया।

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का, जो वित्तीय लेनदार को दी जाती हैं। 12. 24 जुलाई 2017 को, उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें वित्तीय लेनदार को अगले आदेश तक एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ कदम उठाने से रोक दिया गया। उच्च न्यायालय का प्रथम दृष्टया मानना था कि वित्तीय लेनदार एक सहकारी बैंक होने के नाते, वह सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका अभी भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

13. 10 जुलाई 2018 को या उसके आसपास, वित्तीय लेनदार ने निगम की शुरुआत के लिए एन. सी. एल. टी. की कोलकाता पीठ में एक आवेदन दायर किया।

सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही, उच्च न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित थी। 15. आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन की रखरखाव का भी एन. सी. एल. टी. के समक्ष इस कथित आधार पर विरोध किया गया था कि

विशेष अधिकारी को वित्तीय मामलों का प्रशासक नियुक्त किया गया था।

लेनदार, केवल चुनाव कराने के लिए। अतः ऐसा विशेष अधिकारी वित्तीय लेनदार की ओर से कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता था।

ऋणदाता ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन का विरोध नहीं किया एन. सी. एल. टी. को उसी आधार पर सीमित किया जा रहा है।

16. 25 अप्रैल 2019 के एक आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. की कोलकाता पीठ ने धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया

आई. बी. सी. ने सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की, श्री अनिमेष मुखोपाध्याय को दिवाला समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) के रूप में नियुक्त किया और आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थगन की घोषणा की।

17. एन. सी. एल. टी. की कोलकाता पीठ द्वारा पारित 25 अप्रैल, 2019 के आदेश से व्यथित होकर निगमित देनदार ने पहले एक अपील दायर की। आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत एन. सी. एल. ए. टी. ने तर्क दिया कि आवेदन

वित्तीय लेनदार द्वारा दायर किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह सीमा द्वारा वर्जित था।

18. यह केवल एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील में था कि निगमित देनदार ने पहली बार तर्क दिया कि निगमित देनदार के खाते को 31 मार्च, 2013 को एन. पी. ए. घोषित किया गया था, जबकि

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन 27 अगस्त, 2018 को कार्रवाई के कारण के संचय की तारीख से लगभग पांच साल और पांच महीने के बाद दायर किया गया था, और इसलिए इसे सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

19. विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपील को इस अवलोकन के साथ खारिज कर दिया कि अपील में पहली बार कॉर्पोरेट देनदार द्वारा सीमा का आधार लिया गया था। इस मुद्दे पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

20. एन. सी. एल. ए. टी. ने सीमा के मुद्दे की जांच की और कहा कि प्रत्यर्थी ने सीमा की अवधि के भीतर ईमानदारी से पहल की थी।

सरफेसी अधिनियम के तहत निगमित ऋणदाता के खिलाफ कार्यवाही और इस प्रकार सीमा अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत समय के अपवर्जन का हकदार था। एन. सी. एल. ए. टी. ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की तारीख तक लगभग तीन साल और छह महीने की अवधि को हटाने के बाद, जिसके दौरान वित्तीय लेनदार इसके तहत कार्यवाही कर रहा था।

सर्फेसी अधिनियम ने पाया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदार का आवेदन सीमा के भीतर था। तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई। 21. जैसा कि वित्तीय लेनदार की ओर से पेश श्री साई दीपक ने बताया, वित्तीय लेनदार ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एन. सी. एल. टी. में दायर अपने आवेदन में सहायक दस्तावेजों के साथ प्रासंगिक तथ्यों और महत्वपूर्ण तिथियों का सारांश संलग्न किया था, जिसमें सेशत सिंह बनाम की तारीख शामिल थी।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

ऋण की मंजूरी, वह तारीख जब नकद क्रेडिट खाते को एन. पी. ए. घोषित किया गया था, अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तारीखें और धारा 13 (4) के तहत सूचना, धारा 13 (4) के तहत कब्जे की तारीख की सूचना, वह तारीख जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, हुगली, पश्चिम बंगाल द्वारा कब्जे का आदेश जारी किया गया था और अंतरिम आदेश की तारीख।

उच्च न्यायालय का आदेश।

22. प्रासंगिक तिथियों से पता चलता है कि कॉर्पोरेट देनदार के नकद ऋण खाते को 31 मार्च, 2013 से एन. पी. ए. घोषित किया गया था।

सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही 18 जनवरी 2014 को शुरू हुई, जब सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत एक मांग नोटिस जारी किया गया था। दूसरे शब्दों में, जारी करने के अधिकार की प्राप्ति की तारीख के लगभग 9 महीने और 18 दिन बाद, सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। के तहत कार्यवाही

सरफेसी अधिनियम, 2002 पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

अधिकारिता की कमी के आधार पर 24 जुलाई 2017 का आदेश। इसके लगभग 11 महीने बाद, जबकि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर रिट याचिका अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित थी, और सर्फेसी अधिनियम की कार्यवाही पर अंतरिम रोक अभी भी जारी थी, वित्तीय लेनदार ने आईबीसी की धारा 7 के तहत आवेदन शुरू किया।

23. अपीलार्थी की ओर से श्री सिद्धार्थ दवे ने प्रस्तुत किया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदार का आवेदन सीमितता से वर्जित था और उस पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

जमीन।

अभिनिर्धारित किया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन में, आवेदक सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के लाभ का हकदार नहीं है। सर्फेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही।

25. उपरोक्त मामले में, एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा:

" 21. वित्तीय लेनदार द्वारा 'सरफेसी अधिनियम, 2002' की धारा 13 (2) या धारा 13 (4) के तहत की गई कार्रवाई को लागू नहीं किया जा सकता है।

प्रथम दृष्टया किसी न्यायालय के समक्ष दीवानी कार्यवाही या किसी अपीलीय न्यायालय और अन्य मंच के समक्ष अपील या पुनरीक्षण कहा जाता है। इसलिए, 2019 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 1121 के तहत 'सरफेसी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट' की धारा 13 (2) के तहत कार्रवाई की गई है।

21] 3 एस सी आर।

अधिनियम, 2002 'को सीमा की धारा 14 (2) के तहत सीमा की अवधि को हटाने के उद्देश्य से नहीं गिना जा सकता है।

एक्ट करें। 1963 .

धारा 7 के तहत एक आवेदन में 'कॉर्पोरेट देनदार' के समाधान या विफलता पर परिसमापन के लिए राहत मांगी जाती है। यह धन का दावा या मुकदमा नहीं है। इसलिए, धारा 14 (2) के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि -

धारा 7 के तहत आवेदन देय के साथ मुकदमा चला रहा था पहली बार के न्यायालय में या अपील या पुनरीक्षण का अध्यवसाय जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

22. शेष नाथ सिंह और अन्य में दिया गया निर्णय। वी. बैद्यबती शेओराफुली सहकारी बैंक लिमिटेड "(सुप्रा) को इस प्रकार द्वारा निर्धारित एक सही कानून नहीं माना जा सकता है।

बेंच। 23. वर्तमान मामले में, 'कॉर्पोरेट देनदार' के खाते को 30 मार्च, 2014 को एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, 6 दिसंबर, 2014 को प्रतिवादी द्वारा 'सरफेसी अधिनियम, 2002' की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किया गया था

' कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 'बैंक ने 4 दिसंबर, 2015 को बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम की धारा 84 के तहत मध्यस्थता भी शुरू की। बैंक ने 16 जनवरी, 2017 को 'सरफेसी अधिनियम, 2002' की धारा 13 (4) के तहत चल संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले लिया था।

24. इन परिस्थितियों में, मामले को पीठ को भेजने के बजाय, हम मानते हैं कि 2019 ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 'कॉसमॉस को-कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 1121' द्वारा दायर धारा 7 के तहत आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। हम, तदनुसार, 23 तारीख के विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं। सितंबर, 2019 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण), मुंबई पीठ, मुंबई द्वारा पारित किया गया।

26. श्री डेव ने प्रस्तुत किया कि वित्तीय लेनदार के साथ निगमित देनदार के खाते को 31 मार्च, 2013 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन. पी. ए.) घोषित किया गया था। इस प्रकार कार्रवाई का कारण 31 मार्च 2013 को सामने आया। 3 साल की अवधि 31 मार्च, 2016 को समाप्त हो गई। श्री डेव ने तर्क दिया कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन, पांच साल और तीन महीने के बाद 10 जुलाई, 2018 को एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर किया गया था।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

निगमित देनदार के खाते को एन. पी. ए. के रूप में घोषित करने की तारीख, घातक रूप से प्रतिबंधित थी।

27. श्री डेव ने आगे कहा कि वित्तीय लेनदार ने एन. सी. एल. टी. की धारा 5 के तहत कोई आवेदन दायर नहीं किया था।

सीमा अधिनियम। इसलिए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने में देरी को माफ नहीं किया जा सकता है।

28. श्री डेव ने प्रस्तुत किया कि यदि निगमित देनदार थे

वित्तीय लेनदार को एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपने समयबद्ध दावे के साथ आगे बढ़ने की अनुमति है, कॉर्पोरेट देनदार को चुनाव लड़ना होगा। समान चूक राशि के लिए दो अलग-अलग मंचों में कार्यवाही। अपनी दलीलों के संदर्भ में, श्री डेव ने मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। कीरूसा सॉफ्टवेयर

प्राइवेट लिमिटेड 1,

29. श्री डेव ने मेसर्स में 2020 की सिविल अपील 4221 में 21 जनवरी, 2021 के इस न्यायालय के हालिया फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v. एम/एस। होटल पून्जा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ', जहाँ इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" आंध्र प्रदेश लिमिटेड के पारेषण निगम बनाम। इक्विपमेंट कंडक्टर्स एंड केबल्स लिमिटेड ने (2019) 12 एस. सी. सी. 697 में रिपोर्ट किया, इस न्यायालय ने अपने पहले के फैसले का पालन किया मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट
लिमिटेड (ऊपर) और यहाँ के रूप में देखा गया:

" मोबिलॉक्स इनोवेशंस में इस अदालत के हाल के एक फैसले में

प्राइवेट लिमिटेड v. कीरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (2018) 1 एस. सी. सी. 353, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि आई. बी. सी. का उद्देश्य पुनर्प्राप्ति मंच का विकल्प बनना नहीं है। यह.
यह भी निर्धारित किया गया है कि जब भी वास्तविक विवाद का अस्तित्व होता है, आई. बी. सी. प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

30. श्री डेव ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी.

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन पर विचार करते हुए, ऋण की वसूली के लिए एक मंच नहीं होने के कारण, सीमा अधिनियम की धारा 14 लागू नहीं होगी, जैसा कि इशरत अली के मामले में एन. सी. एल. ए. टी. की बड़ी पीठ ने कहा था।

1. (2018) 1 एस. सी. सी. 353

2. 2020 एससीसी ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 920 [2021] 3 एस. सी. आर.

31. श्री डेव ने अंत में तर्क दिया कि, किसी भी मामले में, सीमा अधिनियम की धारा 14 को केवल तभी आकर्षित किया जा सकता है जब कोई पिछली कार्यवाही शुरू की जाए।

आवेदक द्वारा अधिकारिता के अभाव या समान प्रकृति के अन्य कारणों से खारिज कर दिया गया था। सीमा अधिनियम की धारा 14 (2) में स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए, श्री दवे ने तर्क दिया कि चूंकि वित्तीय लेनदार द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही अभी भी लंबित थी, इसलिए यह था वित्तीय लेनदार के लिए सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 (2) का लाभ लेने के लिए खुला नहीं है। सीमा अधिनियम की धारा 14 में स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

" व्याख्या: इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(ए) उस समय को छोड़कर जिसके दौरान एक पूर्व नागरिक

कार्यवाही लंबित थी, जिस दिन वह कार्यवाही शुरू की गई थी और जिस दिन यह समाप्त हुई थी, दोनों

गिनती की गई; "

32. आई. बी. सी. को परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से अन्य बातों के साथ-साथ निगमित व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

उद्यमशीलता, ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देना और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना।

33. आई. बी. सी. के अधिनियमन से पहले, भारत में कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो दिवाला और दिवालियापन से संबंधित हो। संबंधित प्रावधान कंपनियों की दिवालियापन और दिवालियापन को बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में पाया जाना था, जिसे इसके बाद संक्षेप में "एस. आई. सी. ए"., बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के रूप में संदर्भित किया गया था, जिसे अब ऋण की वसूली के रूप में जाना जाता है और

दिवालियापन अधिनियम, 1993 और इसके बाद इसे "ऋण वसूली अधिनियम", सरफेसी अधिनियम और कंपनी अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित किया गया है।

34. ये क़ानून औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.), ऋण वसूली जैसे कई मंचों के लिए प्रदान किए गए हैं।

न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और उनके संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण। कंपनियों के परिसमापन को उच्च न्यायालयों द्वारा कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 433,434 और 439 के अनुरूप धारा 271 और 272 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 1956। व्यक्तिगत दिवालियापन और दिवालियापन से प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियापन अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम, 1920 के तहत निपटा गया था, जिन्हें आईबीसी द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

सेशनाथ सिंह बनाम। बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

35. जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया है, आई. बी. सी. का उद्देश्य पुनर्गठन और पुनर्गठन से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है।

उद्यमिता, ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों का दिवालिया समाधान। दिवाला और दिवालियापन के समय पर समाधान के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा ऋण बाजारों के विकास में सहायता करेगा और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। यह व्यवसाय को भी आसान बनाएगा और अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करेगा जिससे उच्च आर्थिक विकास और विकास होगा। आई. बी. सी. दिवाला, परिसमापन और दिवालियापन के समाधान के लिए एन. सी. एल. टी. और डी. आर. टी. को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में नामित करना चाहता है।

36. आई. बी. सी. की धारा 6 में यह प्रावधान है कि जब कोई निगमित देनदार

एक चूक करता है, एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या कॉर्पोरेट देनदार स्वयं ऐसे कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जैसे कि आईबीसी के अध्याय II में प्रदान किया गया है। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए अनिवार्य शर्त डिफ़ॉल्ट की घटना है।

37. आई. बी. सी. की धारा 7 इस प्रकार प्रदान करती है:

" 7. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

वित्तीय लेनदार। — (1) एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या

अन्य वित्तीय लेनदारों, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से

वित्तीय लेनदार की ओर से, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है,] निगम शुरू करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है।

निगमित देनदार के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष जब कोई चूक हुई हो।

बशर्ते कि खंडों में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए (ए) और (बी) धारा 21 की उप-धारा (6-ए) का एक आवेदन

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए

निगमित देनदार को कम से कम संयुक्त रूप से दाखिल किया जाएगा

एक ही वर्ग में ऐसे सौ लेनदार या दस प्रतिशत से कम नहीं। एक ही वर्ग में ऐसे लेनदारों की कुल संख्या में से जो भी कम हो:

बशर्ते कि वित्तीय लेनदारों के लिए जो आबंटित हैं

एक अचल संपत्ति परियोजना के तहत, शुरू करने के लिए एक आवेदन

निगमित के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

ऋणी को [2021] 3 एस. सी. आर. में से कम से कम एक सौ द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किया जाएगा।

एक ही अचल संपत्ति परियोजना के तहत या दस प्रतिशत से कम नहीं। एक ही अचल संपत्ति परियोजना के तहत ऐसे आबंटियों की कुल संख्या में से जो भी कम हो:

बशर्ते कि जहां आरंभ करने के लिए एक आवेदन

एक निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया एक वित्तीय लेनदार द्वारा दायर की गई है जिसे पहले और दूसरे प्रावधानों में संदर्भित किया गया है और जिसे दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, इस तरह के आवेदन को अनुपालन के लिए संशोधित किया जाएगा

प्रवेश। स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, चूक में न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार के लिए बल्कि किसी अन्य वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।

निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार।

(2) वित्तीय लेनदार के तहत एक आवेदन करेगा उप-धारा (1) ऐसे प्रपत्र और तरीके से और उस शुल्क के साथ जो विहित किया जाए।

(3) वित्तीय लेनदार आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

(क) सूचना उपयोगिता के साथ दर्ज किए गए डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड या ऐसा अन्य रिकॉर्ड या डिफ़ॉल्ट का सबूत जो हो सकता है

निर्दिष्ट किया गया;

(बी) एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम; और

(ग) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, किसी सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से या उप-धारा (3) के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाएगा:

बशर्ते कि यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने चूक के अस्तित्व का पता नहीं लगाया है और उप-धारा सेशत सिंह v के तहत एक आदेश पारित किया है।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(5) ऐसे समय के भीतर, यह अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा

एक ही।

(5) जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का समाधान होता है कि

(a) एक डिफ़ॉल्ट हुआ है और उप के तहत आवेदन हुआ है

धारा (2) पूर्ण है और कोई अनुशासनात्मक नहीं है।

प्रस्तावित प्रस्ताव के खिलाफ लंबित कार्यवाही

पेशेवर, यह, आदेश द्वारा, इस तरह के आवेदन को स्वीकार कर सकता है; या

(बी) डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है या उप के तहत आवेदन नहीं हुआ है

धारा (2) अधूरी है या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही है

प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ लंबित, यह हो सकता है,

आदेश द्वारा इस तरह के आवेदन को अस्वीकार कर दें:

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, इससे पहले

उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करना,

आवेदक को उसके दोष को सुधारने के लिए नोटिस दें।

ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आवेदन

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

(6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू करें

उप-धारा (5)। (7) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सूचित करेगा

(क) उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन वित्तीय

लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार;

((ख) उप-धारा (5) के खंड (ख) के अधीन वित्तीय

लेनदार, इस तरह के प्रवेश या अस्वीकृति के सात दिनों के भीतर आवेदन, जैसा भी मामला हो "।

38. एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, एक फाइल कर सकता है

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुज्ञप्ति

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष किसी निगमित देनदार को नियुक्त करें, जब

ऑल्ट हुआ है। धारा आई. बी. सी. के तहत एक आवेदन के लिए ट्रिगर बिंदु एक डिफ़ॉल्ट की घटना है। में निर्धारित प्रतिबंध

इस मामले में धारा 7 के तीन प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

39. जैसा कि इस न्यायालय (रोहिंटन नरीमन, जे.) ने कहा

ओवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और एक अन्य,

) 1 एससीसी 407 [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. बी. सी. की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जब कोई चूक होती है, तो इस अर्थ में कि ऋण देय हो जाता है और भुगतान नहीं किया जाता है, दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धारा 3 (12) में चूक को बहुत व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है किसी ऋण का भुगतान न करना, एक बार जब वह देय और देय हो जाता है, जिसमें उसके हिस्से का भुगतान न करना या किश्त राशि शामिल है। कोड उस समय चालू हो जाता है जब डिफ़ॉल्ट एक लाख रुपये या उससे अधिक का होता है (धारा 4)। 40. इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने आगे कहा कि ऋण देय नहीं हो सकता है यदि यह कानून या वास्तव में देय नहीं है। एक निगमित देनदार के मामले में, जो वित्तीय ऋण का चूक करता है,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को केवल सूचना उपयोगिता के अभिलेख या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षय को देखना होता है, ताकि वह स्वयं को संतुष्ट कर सके कि चूक हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्ज

41. मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय एक परिचालन लेनदार द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए एक आवेदन के संदर्भ में दिया गया था। आईबीसी की धारा 9 के तहत।

42. आई. बी. सी. की धारा 7 और धारा 9 के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

51. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक बार परिचालन लेनदार ने एक आवेदन दायर कर दिया है, जो अन्यथा पूरा हो गया है,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए

धारा 9 (5) (2) (डी) यदि परिचालन लेनदार द्वारा विवाद की सूचना प्राप्त की गई है या विवाद का रिकॉर्ड है

सूचना उपयोगिता। यह स्पष्ट है कि इस तरह की सूचना को परिचालन लेनदार के ध्यान में लाना चाहिए कि एक

विवाद या तथ्य कि कोई मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही

पक्षकारों के बीच किसी विवाद से संबंधित मामला लंबित है। इसलिए, इस स्तर पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह देखना है कि क्या कोई प्रशंसनीय विवाद है जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है और यह कि "विवाद" स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं है।

ईशनाथ सिंह बनाम द्वारा असमर्थित कानूनी तर्क या तथ्य का दावा।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

सबूत। भूसी से अनाज को अलग करना महत्वपूर्ण है।

और एक नकली बचाव को अस्वीकार करना जो केवल दिखावा है।

हालाँकि, ऐसा करने में, न्यायालय को संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है

कि रक्षा के सफल होने की संभावना है। अदालत ने नहीं किया यह चरण ऊपर बताए गए सीमा को छोड़कर विवाद के गुण-दोष की जांच करता है। जब तक वास्तव में कोई विवाद मौजूद है और

मिथ्या, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है, न्यायनिर्णायक

प्राधिकारी को आवेदन को अस्वीकार करना पड़ता है।

43. आई. बी. सी. को लागू करने में, विधायिका ने अपने विवेक में,

एक वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला प्रक्रिया की शुरुआत के लिए एक आवेदन, जो धारा 7 आई. बी. सी. के तहत दायर किया जाता है, और दिवाला समाधान प्रक्रिया परिचालन लेनदार की शुरुआत के लिए एक आवेदन, जो आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत है, के बीच किराए पर दिया गया है, नीचे दिया गया है:

9. निगमित दिवाला समाधान शुरू करने के लिए आवेदन

प्रचालन लेनदार द्वारा प्रक्रिया। — (1) सूचना देने की तारीख से दस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद या

धारा की उप-धारा (1) के तहत भुगतान की मांग करने वाला चालान

8 , यदि प्रचालन लेनदार से भुगतान प्राप्त नहीं होता है

निगमित देनदार या उप-धारा के तहत विवाद की सूचना

(2) धारा 8 के अनुसार, परिचालन लेनदार एक फाइल कर सकता है एक शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया।

(2) उप-धारा (1) के तहत आवेदन ऐसे प्रपत्र और तरीके से और ऐसे शुल्क के साथ दाखिल किया जाएगा जो

निर्धारित किया जा सकता है।

(3) प्रचालन लेनदार इसके साथ-साथ आवेदन प्रस्तुत करें

(क) प्रचालन लेनदार द्वारा भुगतान या मांग सूचना की मांग करने वाले चालान की एक प्रति

निगमित देनदार;

(ख) इस आशय का शपथ पत्र कि निगमित देनदार द्वारा किसी विवाद के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

अवैतनिक परिचालन ऋण;

(ग) वित्तीय संस्थानों से प्रमाण पत्र की एक प्रति

परिचालन लेनदार के खातों को बनाए रखना [2021] 3 एस. सी. आर.

यह पुष्टि करते हुए कि कोई अवैतनिक भुगतान नहीं है निगमित देनदार द्वारा परिचालन ऋण, यदि उपलब्ध हो;

(घ) सूचना उपयोगिता के साथ किसी भी रिकॉर्ड की एक प्रति जो यह पुष्टि करती है कि कोई अवैतनिक भुगतान नहीं किया गया है।

निगमित देनदार द्वारा परिचालन ऋण, यदि उपलब्ध हो;

और

(ङ) इस बात की पुष्टि करने वाला कोई अन्य प्रमाण कि निगमित देनदार द्वारा अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है या ऐसी अन्य जानकारी, जो निर्धारित की जाए।

(4) इस धारा के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने वाला एक परिचालन लेनदार, एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए एक समाधान पेशेवर का प्रस्ताव कर सकता है।

(5) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, एक आदेश द्वारा (i) आवेदन स्वीकार करें और इस तरह के निर्णय को परिचालन लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार को सूचित करें यदि -

(ख) अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं है;
(ग) निगमित देनदार को भुगतान के लिए चालान या सूचना

(ङ) उप-धारा (4) के तहत प्रस्तावित किसी भी समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, यदि कोई भी।

((ii) आवेदन को अस्वीकार करें और इस तरह के निर्णय को सूचित करें।

प्रचालन लेनदार और निगमित देनदार के लिए, यदि

(क) उप-धारा (2) के तहत किया गया आवेदन है -

अपूर्ण;

(ख) अवैतनिक परिचालन ऋण का भुगतान किया गया है; सेशत सिंह बनाम।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(ग) लेनदार ने चालान या नोटिस नहीं दिया है।

निगमित देनदार को भुगतान;

(घ) परिचालन लेनदार द्वारा विवाद की सूचना प्राप्त की गई है या जानकारी में विवाद का रिकॉर्ड है।

उपयोगिता; या

(ई) किसी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है।

प्रस्तावित समाधान पेशेवर:

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अस्वीकार करने से पहले खंड (ii) के उपखंड (क) के तहत एक आवेदन नोटिस देता है।

आवेदक को अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए इस तरह के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात दिन

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

(6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

इस धारा की उप-धारा (5)।

44. आई. बी. सी. की धारा 9 (5) (आई) (डी) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

यदि प्रचालन लेनदार द्वारा विवाद की सूचना प्राप्त हुई है और सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो प्रचालन लेनदार द्वारा किए गए आवेदन को अस्वीकार करना होगा। आई. बी. सी. की धारा 7 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

45. सीमा अधिनियम 1963, मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों की सीमा कानून को समेकित करने और संशोधित करने के लिए और उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया है।

इसके साथ जुड़ा हुआ है। सीमा अधिनियम "मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों और उनसे जुड़े उद्देश्यों के लिए" लागू होता है जैसा कि इसमें कहा गया है। प्रस्तावना। अभिव्यक्ति "अन्य कार्यवाहियाँ" अनिवार्य रूप से मुकदमों से उत्पन्न होने वाली और/या उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ हैं।

46. के. वेंकटेश्वर राव और अन्र में। वी. बेक्कम नरसिम्हा

रेड्डी और अन्य 4, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत एक चुनाव याचिका पर सीमा अधिनियम लागू नहीं होता है, जो एक पूर्ण संहिता है। नित्यानंद एम. जोशी और अन्य बनाम। भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की

पीठ ने सीकरी, जे. के माध्यम से बोलते हुए कहा कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 केवल न्यायालयों में आवेदनों पर विचार करता है।

4. ए. आई. आर 1969 एस. सी 872 5 . (1969) 2 एससीसी 199 [2021] 3 एस. सी. आर.

47. हालाँकि, विभिन्न कानूनों ने सीमा अधिनियम के प्रावधानों को निगमन या संदर्भ द्वारा, या तो पूरी तरह से या सीमित सीमा तक अपनाया है। उदाहरण के लिए, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 37 में प्रावधान किया गया है कि भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 के सभी प्रावधान मध्यस्थता पर लागू होंगे जैसा कि वे न्यायालय में कार्यवाही पर लागू होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 433 में प्रावधान है कि सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपील पर लागू होंगे।

48. भारत सरकार के निगमित कार्य मंत्रालय की दिवाला समिति ने मार्च 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि आई. बी. सी. का इरादा उन ऋणों को जीवन का एक नया पट्टा देना नहीं हो सकता था जो पहले से ही समय से बाधित थे। इसके बाद 6 जून 2018 से दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 26) द्वारा आई. बी. सी. में धारा 238 ए को शामिल किया गया। धारा 238 क निम्नलिखित प्रावधान करती है:

" 238 ए. सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे।

वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो "।

49. धारा 238 ए की भाषा और सार महत्वपूर्ण है। इस धारा में कहा गया है कि सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान, जहां तक हो सके, एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे।

एनसीएलएटी।

50. धारा 238 आई. बी. सी. को किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद, उस समय के लिए प्रबल प्रभाव देती है।

ऐसे किसी कानून के आधार पर बल में होना, या प्रभाव रखने वाला कोई साधन होना। 51. एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. के तहत आवेदन के लिए सीमा अधिनियम, 1963 में निर्धारित सीमा की कोई विशिष्ट अवधि नहीं है। एक आवेदन जिसके लिए अनुसूची में कहीं और कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित है। सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 के तहत, इस तरह के आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि आवेदन करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन साल है।

52. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन करने की सीमा की अवधि सेशत सिंह बनाम है।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

मुकदमा करने के अधिकार की प्राप्ति की तारीख से तीन साल, यानी तारीख

डिफ़ॉल्ट रूप से। गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और Anr.6, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 6. ..... वर्तमान मामला "एक आवेदन" है जो धारा 7 के तहत दायर किया गया है, केवल अवशिष्ट अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा।

137. ”

53. सीमा अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि कोई भी अपील या

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के प्रावधानों में से किसी के तहत आवेदन के अलावा कोई भी आवेदन निर्धारित सीमा अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास अपील को प्राथमिकता नहीं देने या ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण था। सीमा अधिनियम की धारा 5 में स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि, यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक को निर्धारित अवधि का पता लगाने या गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश, व्यवहार या निर्णय से गुमराह किया गया हो सकता है,

इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण होना चाहिए।

54. बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्तंद एसोसिएट्स, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम संहिता की शुरुआत से संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होता है, इसलिए सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 लागू होता है।

आकर्षित हो जाता है। इसलिए, मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है। यदि आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले चूक हुई है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत वर्जित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां मामले के तथ्यों में, सीमा अधिनियम की धारा 5 को इस तरह के आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए लागू किया जा सकता है।

55. राधा एक्सपोर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम के. पी. जयराम और Anr.[3], इस न्यायालय ने बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) को संदर्भित किया

लिमिटेड वी. पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (ऊपर) ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया।

56. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और अन्य ', इस न्यायालय ने उस सीमा को अभिनिर्धारित किया

6. (2019) 10 एस. सी. सी. 572

7 . (2019) 11 एस. सी. सी. 633

8 . (2020) 10 एस. सी. सी. 538 9 9.

21] 3 एस सी आर।

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान किए गए तीन वर्ष, चूक की तारीख से शुरू किया गया, सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत बढ़ाया जा सकता था।

57. इस अपील में शामिल मुद्दे इस प्रकार हैं:

क्या आवेदन दाखिल करने में तीन साल से अधिक की देरी हो रही है

((i)

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदक द्वारा की गई देरी को माफ करने के लिए आवेदन के अभाव में माफ किया जा सकता है। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत?

क्या सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 इन पर लागू होती है

((ख)

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन? यदि ऐसा है, तो क्या धारा 14 के तहत समय का अपवर्जन गलत मंच के समक्ष कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध है?

58. सुविधा के लिए, और प्रोलिक्सिटी से बचने के लिए और

अनावश्यक पुनरावृत्ति, उपरोक्त सभी मुद्दों को एक साथ निपटाया जाता है।

आई. बी. सी. की धारा 238 ए में प्रावधान है कि सीमा अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे।

59. यह इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों और विशेष रूप से, बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है। पराग गुप्ता

एसोसिएट्स और ओआरएस। (ऊपर) एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के पास सीमा की निर्धारित अवधि के बाद एक आवेदन/अपील पर विचार करने का विवेकाधिकार है। इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्त सीमा द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपील और/या आवेदन को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण का अस्तित्व है।

60. रामलाल मोतीलाल और छोटेलाल बनाम। रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड "10

इस न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कृष्ण बनाम में लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की। चट्टप्पन 1 1 और यह अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम की धारा 5 देता है

न्यायालयों को एक विवेकाधिकार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग उन सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से समझे गए हैं और जिनका उपयोग न्यायिक शक्ति और विवेकाधिकार के तरीके से किया जाना चाहिए। शकुंतला देवी जैन बनाम कुंतल कुमार 1 2 और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम 2 में, जैसा कि इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अभिनिर्धारित किया है, पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए। प्रशासक, हावड़ा नगरपालिका और अन्य 1 3.

11. 1890 आई. एल. आर. मैड 269 12. ए. आई. आर 1969 एस. सी. 575

13. (1972) 1 एस. सी. सी. 366 सेश नाथ सिंह बनाम।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

61. आवेदन या अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए पूर्ववर्ती शर्त, पर्याप्त कारण का अस्तित्व है। क्या

देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण 'पर्याप्त कारण' होगा या प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर नहीं करेगा। कदम उठाने में देरी के लिए आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई सीधा सूत्र नहीं हो सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्वीकृति नियम और इनकार एक अपवाद होना चाहिए, जब चूक करने वाले पक्ष पर कोई लापरवाही या निष्क्रियता या ईमानदारी की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। 62. यह सच है कि सीमा कानून द्वारा दूसरे पक्ष को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हो सकता है, जिसे माफ करके हल्के में पराजित नहीं किया जाना चाहिए।

नियमित तरीके से देरी। साथ ही, जब दांव अधिक होते हैं, तो स्पष्टीकरण को मामले के पांडित्यपूर्ण और अति तकनीकी दृष्टिकोण से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जिससे उस पक्ष को अपूरणीय नुकसान और चोट पहुंचती है जिसके खिलाफ आई. एस. समाप्त होता है। अदालतों को हड़ताल करने की आवश्यकता है

संबंधित पक्षों के वैध अधिकारों और हितों के बीच संतुलन।

63. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 किसी का उल्लेख नहीं करती है।

आवेदन। यह धारा न्यायालय को एक आवेदन स्वीकार करने में सक्षम बनाती है या अपील यदि आवेदक या अपीलार्थी, जैसा भी मामला हो, न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था और/या

निर्धारित समय के भीतर अपील को प्राथमिकता देना। हालाँकि, सीमा की धारा 5 के तहत औपचारिक आवेदन करना सामान्य प्रथा है।

अधिनियम, 1963, न्यायालय या न्यायाधिकरण को सीमित समय के भीतर न्यायालय/न्यायाधिकरण से संपर्क करने में अपीलार्थी/आवेदक की असमर्थता के कारण की पर्याप्तता पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए, औपचारिक आवेदन के अभाव में, न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा देरी को माफ करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं है।

64. सीमा अधिनियम की धारा 5 को सीधे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त धारा के तहत राहत देने से पहले लिखित में आवेदन दायर करना अनिवार्य नहीं है। ऐसा कोई आवेदन था

अनिवार्य होने पर, सीमा अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से होती इस तरह से प्रदान किया गया। धारा 5 में तब पढ़ा गया होगा कि न्यायालय आवेदन या अपील दायर करने के लिए सीमा द्वारा निर्धारित समय से अधिक देरी को माफ कर सकता है, यदि अपीलार्थी या आवेदक के आवेदन पर विचार करने पर, विलंब की माफी के लिए, न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलार्थी/आवेदक के पास ऐसी अवधि के

भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने या आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था। वैकल्पिक रूप से,
एक [2021] 3 एस. सी. आर.

धारा 5 में परंतुक या स्पष्टीकरण जोड़ा गया होगा, जिसमें अपीलार्थी या आवेदक, जैसा भी मामला हो, को विलंब की माफी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, अदालत हमेशा इस बात पर जोर दे सकती है कि देरी का कारण दिखाने वाला आवेदन या हलफनामा दायर किया जाए। नहीं।

आवेदक या अपीलार्थी बिना आवेदन किए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी की माफी का दावा कर सकते हैं।

65. जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 238 ए सीमा अधिनियम के प्रावधानों को आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर लागू करती है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) 'जहाँ तक हो'। सीमा अधिनियम की धारा 14 (2) जो कुछ परिस्थितियों में सीमा की अवधि की गणना में समय के अपवर्जन का प्रावधान करती है,

निम्नलिखित रूप में प्रदान करता है:

" 14. न्यायालय में ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय का बहिष्कार

अधिकार क्षेत्र के बिना।

—

(1) .....

(2) किसी भी आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, उस समय के दौरान जिसके दौरान आवेदक उसी राहत के लिए उसी पक्षकार के खिलाफ किसी अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की अदालत में हो या अपील या संशोधन की, पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा है, को बाहर रखा जाएगा, जहां ऐसी कार्यवाही पर किसी ऐसे न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो - अधिकारिता या समान प्रकृति का अन्य कारण, करने में असमर्थ है

इसका मनोरंजन करें। "

66. इसी तरह सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत,

विरोधी पक्ष द्वारा दावा किए गए किसी भी अधिकार के संबंध में लिखित रूप में की गई और जिस पक्ष के खिलाफ अधिकार का दावा किया गया है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित वर्तमान निर्वाह दायित्व की स्वीकृति, उस तारीख से सीमा की एक नई अवधि शुरू करने का प्रभाव डालती है, जिस दिन स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। हालाँकि, स्वीकृति की अवधि से पहले की जानी चाहिए

सीमा समाप्त हो जाती है।

67. जैसा कि ऊपर देखा गया है, आई. बी. सी. की धारा 238 ए सीमा अधिनियम के प्रावधानों को, जहां तक हो सके, लागू करती है। एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही। आई. बी. सी. नहीं

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के लिए धारा 6 या 14 या 18 या सीमा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के आवेदन को बाहर करें। सीमा अधिनियम के सभी प्रावधान एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही पर यथासंभव लागू होते हैं।

सेशनाथ सिंह बनाम। बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

68. हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 या 18 धारा 7 या धारा 9 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होनी चाहिए।

आईबीसी। बेशक, सीमा अधिनियम की धारा 18 इस मामले में आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि एन. सी. एल. ए. टी. का विवादित आदेश किसी भी स्वीकृति के आधार पर आगे नहीं बढ़ता है।

69. एम/एस में। रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ऊपर),

जुलाई 2018 में वित्तीय लेनदार द्वारा दायर आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका को तथ्यों के आधार पर सीमितता द्वारा निराशाजनक रूप से बाधित पाया गया था, क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार के खाते को 1993 में एन. पी. ए. घोषित किया गया था, जिसके बाद वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी। 2003 में जारी किया गया और 2001 में संशोधित प्रमाण पत्र। इस न्यायालय ने पाया कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के लाभ का दावा करने के लिए वित्तीय लेनदार द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उन्हें दायित्व की स्वीकृति या स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

70. सीमा अधिनियम की धारा 14 (2) में यह प्रावधान है कि कम्प्यूटिंग में

किसी भी आवेदन के लिए सीमा की अवधि, वह समय जिसके दौरान याचिकाकर्ता उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा था, एक अन्य दीवानी उसी राहत के लिए, चाहे पहली बार के न्यायालय में, या उसी पक्ष के खिलाफ अपील या संशोधन की कार्यवाही को बाहर रखा जाएगा, जहां ऐसी कार्यवाही पर किसी ऐसे न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है, जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से इसे स्वीकार करने में असमर्थ है। अपवर्जन की शर्तें यह हैं कि पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में

उसी राहत के लिए, कार्यवाही पर लगन और सद्भावना से मुकदमा चलाया जाना चाहिए था और कार्यवाही पर एक ऐसे मंच पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से इसे स्वीकार करने में असमर्थ था।

सुलह अधिनियम, 1996 उक्त अधिनियम की धारा 43 के आधार पर, जिसने सीमा अधिनियम को मध्यस्थता पर लागू किया क्योंकि यह इन पर लागू होता है - न्यायालय में कार्यवाही। इस न्यायालय ने पाया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में किसी भी प्रावधान के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान को छोड़कर

धारा 14 के अनुसार, एक पक्ष वैध रूप से गलत मंच पर उचित परिश्रम के साथ कार्यवाही के प्रामाणिक अभियोजन में बिताए गए समय को हटाने का हकदार था। संघ में इस न्यायालय के पहले के फैसले को अलग करते हुए

21] 3 एस सी आर।

भारत का वी। लोकप्रिय निर्माण Co.[1]5, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमा की गणना में सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत समय का अपवर्जन उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने से अलग था।

72. समेकित अभियांत्रिकी उद्यमों में v. प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग और अन्य "। , तीन न्यायाधीशों की पीठ इस न्यायालय ने सर्वसम्मति से अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में किसी भी प्रावधान के अभाव में, जिसमें सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता को बाहर रखा गया है, कोई कारण नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन पर लागू नहीं होनी चाहिए। इस न्यायालय ने कहा:

" 19. परंतुक के साथ पठित धारा 34 की उप-धारा (3) के खाली पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि धारा 34 की उप-धारा (2) में उल्लिखित आधारों पर अधिनिर्णय को अलग करने के लिए आवेदन तीन महीने के भीतर करना होगा। इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, 30 दिनों की एक और अवधि के लिए लेकिन उसके बाद नहीं। इसका मतलब है कि जहां तक पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन का संबंध है, निर्धारित सीमा की अवधि तीन महीने है जिसे 30 दिनों की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर

अदालत।

20. सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि से अलग सीमा की अवधि निर्धारित करता है, वहां धारा 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और निर्धारित करने के उद्देश्य से थी।

किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की कोई अवधि, धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब तक, और इस हद तक, वे इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। जब कोई विशेष क़ानून कुछ निर्धारित करता है

सीमा की अवधि के साथ-साथ निर्दिष्ट समय-सीमा तक विस्तार का प्रावधान, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि

प्रबल और उस सीमा तक सीमा अधिनियम के प्रावधान

15 (2001) 8 एस. सी. सी. 470 16 (2008) 7 एस. सी. सी. 169 ईशनाथ सिंह बनाम।

बैदयावती शेराफुली को

ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

बहिष्कृत रहेगा। विधानमंडल के इरादे के रूप में

अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) को अधिनियमित करना यह है कि -

पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन इसके भीतर किया जाना चाहिए तीन महीने और अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है

30 दिनों की एक और अवधि में पर्याप्त कारण दिखाया जा रहा है

लेकिन इसके बाद नहीं, इस न्यायालय की राय है कि

सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान नहीं होंगे

लागू होता है क्योंकि धारा 5 की प्रयोज्यता

सीमा अधिनियम के प्रावधानों के कारण बाहर रखा गया है

एक पुरस्कार के अलावा, किसी को यह निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 भी लागू नहीं होगी।

अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत एक आवेदन के लिए

1996 .

21. सीमा अधिनियम की धारा 14 के बहिष्करण से संबंधित है - न्यायक्षेत्र के बिना किसी न्यायालय में ईमानदारी से कार्यवाही करने का समय।

उक्त खंड के विश्लेषण पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि

धारा 14 के लागू होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए

सेवा में लगाया जाए:

(1) पूर्व और पश्चात्वर्ती दोनों कार्यवाहियाँ हैं -

उसी पक्ष द्वारा मुकदमा चलाया गया दीवानी कार्यवाही;

(2) पूर्व कार्यवाही के साथ मुकदमा चलाया गया था

उचित परिश्रम और अच्छे विश्वास में;

(3) पूर्व कार्यवाही की विफलता के कारण था

अधिकारिता का दोष या समान प्रकृति का अन्य कारण;

(4) पूर्ववर्ती कार्यवाही और उत्तरवर्ती कार्यवाही

मुद्दे में एक ही मामले से संबंधित होना चाहिए और;

(5) दोनों की कार्यवाही अदालत में चल रही है।

22. इस धारा की नीति किसी वादी को कार्यवाही शुरू करने पर सीमा की सीमा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।

जिसे किसी तकनीकी दोष के कारण तय नहीं किया जा सकता है।

योग्यता पर और बर्खास्त कर दिया जाता है। प्रावधानों पर विचार करते समय

सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत, उचित दृष्टिकोण होगा

अपनाया जाना है और प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी [2021] 3 एस. सी. आर.

ताकि कार्यवाही को निरस्त करने के बजाय न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। यह ध्यान रखना अच्छा होगा कि गलती का एक तत्व धारा 14 के आह्वान में निहित है। वास्तव में, इस धारा का उद्देश्य गलत उपचार या गलत मंच के चयन के मामलों में सीमा की सीमा के खिलाफ राहत प्रदान करना है। अधिनियम की धारा 14 को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि

विधायिका ने एक प्रामाणिक मुकदमेबाजी गतिविधि द्वारा कवर की गई एक निश्चित अवधि को छूट देने के लिए उक्त धारा को अधिनियमित किया है। जिस पर

इस धारा में उपयोग किए गए शब्द, इस व्याख्या को बनाए रखना संभव नहीं है कि उक्त धारा में अंतर्निहित सिद्धांत, अर्थात्, सीमा का प्रतिबंध किसी व्यक्ति को गुण-दोष के आधार पर अपने मामले का मुकदमा चलाने के लिए ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने पर प्रभावित नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने में विफल रहना क्योंकि अदालत उसे ऐसा मुकदमा देने में असमर्थ है, 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन पर लागू नहीं होगा। सिद्धांत स्पष्ट रूप से लागू नहीं है

विधि या प्रक्रिया का दोष। विधायिका के इरादे को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि धारा 14 में अंतर्निहित समानता को अपनी पूरी सीमा तक लागू किया जाना चाहिए और एक गलत अदालत में उपचार का लगन से पीछा करने में समय लगना चाहिए। इसे हटा दिया जाना चाहिए "।

73. अपने अलग सहमति वाले फैसले में जे. रवींद्रन ने कहा:

" 52. सीमा अधिनियम की धारा 14 बिना अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय के बहिष्करण से संबंधित है।

53. एसी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) अलग रखने के लिए आवेदन दायर करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करती है।

एक पुरस्कार उस तारीख से तीन महीने के रूप में जिस दिन आवेदक को मध्यस्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए परंतुक अदालत के विवेकाधिकार में निहित है कि सीमा की अवधि को तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जाए यदि अदालत का समाधान हो जाता है कि आवेदक को तीन महीने के भीतर आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण से रोका गया था। परंतुक में "लेकिन उसके बाद नहीं" शब्दों के उपयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेशत सिंह बनाम।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

भले ही एक लंबे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण बनाया गया हो, विस्तार तीस दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। ए. सी. अधिनियम की धारा 34 (3) के प्रावधान का उद्देश्य सीमा अधिनियम की धारा 5 के समान है जो किसी भी आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि के विस्तार से भी संबंधित है या अपील करें। यह अदालत में सीमा की
निर्धारित अवधि बढ़ाने का विवेकाधिकार निहित करता है यदि आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि वह

आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था

निर्धारित अवधि। सीमा अधिनियम की धारा 5 में विस्तार की अवधि के संबंध में कोई बाहरी सीमा नहीं रखी गई है, जबकि एसी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) के प्रावधान में सीमा की अवधि के विस्तार की अवधि पर एक सीमा रखी गई है। इस प्रकार ए. सी. अधिनियम की धारा 34 (3) का परंतुक भी सीमा की अवधि के विस्तार से संबंधित एक प्रावधान है, लेकिन विस्तार की अवधि के संबंध में सीमा अधिनियम की धारा 5 से अलग है और इसका प्रभाव धारा 5 को बाहर करने का है।

केवल सीमा अधिनियम "।

न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए। धारा 14 गलत उपचार के मामलों में लागू होगी या

गलत मंच का चयन।

75. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि धारा 14 किसी आवेदन पर लागू होती है।

आईबीसी की धारा 7 के तहत। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह दोहराया जाता है कि आई. बी. सी. आई. बी. सी. की धारा 14 के संचालन को बाहर नहीं करता है। सवाल यह है कि क्या सरफेसी अधिनियम के तहत पूर्व कार्यवाही नहीं होती है

धारा 14 के तहत समय के अपवर्जन के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे किसी न्यायालय में दीवानी कार्यवाही नहीं हैं, जैसा कि श्री डेव ने तर्क दिया है।

76. भले ही यह अभिनिर्धारित किया जाना था कि धारा 14 का लाभ आई. बी. सी. के तहत एक आवेदक को उपलब्ध होगा, शुरू की गई कार्यवाही के लिए प्रामाणिक

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत ईमानदारी से और उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाया जाए, इस अपील में उठाया गया एक और सवाल यह है कि क्या धारा के तहत समय का बहिष्कार किया गया है।

14 सीमा अधिनियम की कार्यवाही केवल तभी उपलब्ध होगी जब धारा 14 के अंत में दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्यवाहियां, जिन पर अधिकारिता के दोष या समान प्रकृति के

अन्य कारणों के लिए विचार नहीं किया जा सकता था, समाप्त हो गई थीं, जिसमें कहा गया है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, उस दिन

17 . (2016) 14 एससीसी 199 [2021] 3 एस. सी. आर.

जिसे पहले की कार्यवाही शुरू की गई थी और जिस दिन यह समाप्त हुई थी, दोनों को समय के अपवर्जन के लिए गिना जाएगा। श्री डेव ने धारा 14 के अंत में दिए गए स्पष्टीकरण पर बहुत जोर दिया है, यह तर्क देने के लिए कि वित्तीय लेनदार सीमा अधिनियम की धारा 14 के लाभ का हकदार नहीं होगा क्योंकि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही अभी भी लंबित है, साथ ही उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी है। 77. सीमा अधिनियम की धारा 14 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। धारा 14 की उप-धारा (1), (2) और (3) के संयुक्त और सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एक आवेदक जिसने किसी अन्य दीवानी पर मुकदमा चलाया है।

उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ना, एक मंच के सामने जो मनोरंजन करने में असमर्थ है समान अधिकारिता के दोष या समान प्रकृति के किसी अन्य कारण के कारण, उस समय के अपवर्जन का हकदार है जिसके दौरान आवेदक सीमा की अवधि की गणना करने में ऐसी कार्यवाही का अभियोजन कर रहा था। धारा 14 की उप-धारा (1), (2) और (3) के मूल प्रावधानों में यह नहीं कहा गया है कि धारा 14 को केवल धारा 14 की समाप्ति पर लागू किया जा सकता है।

पहले की कार्यवाही, सद्भावना से मुकदमा चलाया गया। 78. बिहटा को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट केन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. बैंक ऑफ बिहार और Ors.[1]8, इस न्यायालय ने कहा कि स्पष्टीकरण को पढ़ा जाना चाहिए ताकि किसी भी स्पष्टीकरण के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके और उसे स्पष्ट किया जा सके।

मुख्य खंड में अस्पष्टता। इसका इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह खंड का दायरा बढ़ा सके।

79. जैसा कि एस. सुंदरम पिल्लई और अन्य बनाम में आयोजित किया गया है। वीआर.

पट्टाबीरमन और अन्य ", यह अच्छी तरह से तय है कि एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है

किसी वैधानिक प्रावधान के लिए किसी भी अर्थ में एक ठोस प्रावधान नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कुछ अस्पष्टताओं को समझाना या स्पष्ट करना है, जो वैधानिक प्रावधानों में शामिल हो सकते हैं। 80. सुंदरम पिल्लई (ऊपर) में, इस न्यायालय ने सारथी की क़ानूनों की व्याख्या; स्वरूप के विधान और व्याख्या का उल्लेख किया,

बिंद्रा द्वारा मूर्तियों की व्याख्या (5वां संस्करण) और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय, जिनमें ऊपर उल्लिखित और अभिनिर्धारित निर्णय भी शामिल हैं:

" 53. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के एक पक्ष से, यह स्पष्ट है कि एक स्पष्टीकरण का उद्देश्य

वैधानिक प्रावधान है

" (क) अधिनियम के अर्थ और आशय की व्याख्या करना।

स्वयं,

18 ए. आई. आर 1967 एस. सी. 389

19 9 (1985) 1 एस. सी. सी. 591 सेश नाथ सिंह बनाम।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(ख) जहाँ कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता है

मुख्य अधिनियम, उसी को स्पष्ट करने के लिए ताकि इसे प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सके जो यह प्रतीत होता है

कम करें,

(ग) प्रभावशाली लोगों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना

अधिनियम का उद्देश्य इसे सार्थक बनाना और

उद्देश्यपूर्ण,

(घ) स्पष्टीकरण किसी भी प्रकार से अधिनियम या उसके किसी भाग में हस्तक्षेप या परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन जहां कुछ

अंतराल छोड़ दिया गया है जो उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है

स्पष्टीकरण, शरारत को दबाने और अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए यह न्यायालय को अधिनियम के सही उद्देश्य और इरादे की व्याख्या करने में मदद या सहायता कर सकता है।

अधिनियमन, और
(ई) हालाँकि, यह उस वैधानिक अधिकार को छीन नहीं सकता है जिसके साथ किसी क़ानून के तहत किसी व्यक्ति को पहना गया है या स्थापित किया गया है।

एक बाधा बन कर एक अधिनियम के काम करने पर शून्य

उसी की व्याख्या में।

81. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, स्पष्टीकरण (ए) का संकीर्ण पांडित्यपूर्ण तरीके से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि धारा 14 कभी भी जब तक और जब तक कि पिछली कार्यवाहियों को वास्तव में लागू नहीं किया गया है

अधिकारिता के अभाव या ऐसी प्रकृति के अन्य कारणों से समाप्त किया गया। स्पष्टीकरण (क), जो स्पष्टीकरणात्मक है, केवल बहिष्करण की अवधि को दीक्षा की तारीख और समाप्ति की तारीख के बीच की अवधि तक सीमित करता है। एक आवेदक आगे किसी भी बहिष्करण का दावा नहीं कर सकता है।

82. उदाहरण के लिए, यदि कोई पक्ष गलत तरीके से मुकदमा दायर करता है।

मंच, बंधक या शुल्क द्वारा सुरक्षित धन के भुगतान को लागू करने के लिए

अचल संपत्ति पर, जिसके लिए सीमा की निर्धारित अवधि बारह वर्ष है, मुकदमा करने के अधिकार के संचय की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, और फिर अधिकार क्षेत्र के अभाव में मुकदमे को खारिज करने के बाद आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने पर, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन समय से प्रतिबंधित होगा क्योंकि ऐसा पक्ष संस्था की तारीख और पिछली कार्यवाही की समाप्ति की तारीख से परे किसी भी अवधि के बहिष्कार का हकदार नहीं होगा। यदि समय के बहिष्करण के बाद

बोना द्वारा स्थापित कार्यवाहियों की शुरुआत और समाप्ति के बीच

ईमानदारी से और अच्छे विश्वास के साथ और उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाया गया, एक आवेदन अभी भी तीन साल से अधिक था, धारा 14 सीमा को बचाने में मदद नहीं करेगी।

83. एक अन्य उदाहरण का हवाला देते हुए, यदि दीवानी कार्यवाही सद्भावना से गलत मंच पर शुरू की गई थी और उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाया गया था, लेकिन कार्यवाही समाप्त होने के बाद, तुच्छ, गुणहीन आवेदन करके समय बर्बाद किया गया था, तो आवेदक केवल समय को हटाने का हकदार होगा। विश्वास और ईमानदारी से और लगन से पीछा किया, और अधिक नहीं। आवेदक पीछा करने में बिताए गए किसी भी और समय के बहिष्करण का हकदार नहीं होगा।

तुच्छ आगे की कार्यवाही, या अन्यथा। 84. संक्षेप में, धारा 14 में गलत मंच पर कार्यवाही करने में बिताए गए समय को शामिल नहीं किया गया है, जो अभाव के कारण कार्यवाही का मनोरंजन करने में असमर्थ है।

अधिकारिता, या ऐसा कोई अन्य कारण। जहां ऐसी कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं, धारा 14 के तहत बहिष्करण का दावा करने की बाहरी सीमा वह तारीख होगी जिस दिन कार्यवाहियां समाप्त हुईं।

85. तत्काल मामले में, सर्फेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही औपचारिक रूप से समाप्त नहीं की गई होगी। कार्यवाही इस प्रकार है -

हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश द्वारा इस बात पर रोक लगा दी गई कि वित्तीय लेनदार, जो एक सहकारी बैंक है, द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना थी। कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर रिट याचिका का लगभग चार साल बाद भी निपटारा नहीं किया गया था। कार्यवाही का संचालन कॉर्पोरेट देनदार के पास था। अंतरिम आदेश तब भी लागू था, जब आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय लेनदार सरफेसी अधिनियम के तहत आगे बढ़ने में असमर्थ था।

86. तत्काल मामले में, भले ही यह माना जाता है कि मुकदमा करने का अधिकार 31.3.2013 पर अर्जित किया गया था जब कॉर्पोरेट देनदार का खाता था

घोषित एन. पी. ए., वित्तीय लेनदार ने 18 जनवरी 2014 को सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की, जिस तारीख को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया था, उसी के साथ आगे बढ़ा, और यहां तक कि संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले लिया, जब तक कि 24 जुलाई 2017 के अपने आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पूरी कार्यवाही पर रोक नहीं लगा दी गई। आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही 10 जुलाई 2018 को शुरू की गई थी।

87. हमारे विचार में, चूंकि उच्च न्यायालय में कार्यवाही अभी भी धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की तारीख पर लंबित थी एन. सी. एल. टी. में आई. बी. सी., सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद की पूरी अवधि को बाहर रखा जा सकता है। यदि सर्फेसी अधिनियम के तहत

कार्यवाही शुरू होने की तारीख से लेकर एन. सी. एल. टी. में आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की तारीख तक की अवधि सेशनाथ सिंह v.

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

एन. सी. एल. टी. में आवेदन तीन साल की सीमा के भीतर है। भले ही धारा 13 (2) के तहत नोटिस की तारीख और एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत कार्यवाही पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की तारीख के बीच की अवधि, प्रथम दृष्टया

अधिकारिता के अभाव को बाहर रखा गया है, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही अभी भी तीन साल की सीमा के भीतर है।

88. आई. बी. सी. के तहत एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऋण के संग्रह के लिए एक विकल्प मंच नहीं है, इस मायने में कि यह उन ऋणों को फिर से नहीं खोल सकता है जो कानून द्वारा वर्जित हैं, या ऋण, जिनकी वसूली समय से वर्जित हो गई है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण विवादों को मुकदमों, मध्यस्थता और इसी तरह की कार्यवाही के तरीके से हल नहीं करता है। हालाँकि, आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन का अंतिम उद्देश्य दिवाला समाधान प्रक्रिया का आह्वान करके 'ऋण' की प्राप्ति है। जो भी हो,

चूंकि किसी आवेदन की शुरुआत के लिए कार्रवाई का कारण, चाहे वह धारा 7 के तहत हो या आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत, कॉर्पोरेट ऋणदाता की ओर से चूक है, और सीमा अधिनियम 1963 के प्रावधान, जहां तक हो सके, आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर लागू किए गए हैं, इसलिए कोई कारण नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 या 18 सीमा की अवधि की गणना के उद्देश्य से लागू नहीं होगी।

89. वी. सुधीश पाई को उनकी पुस्तक 'कॉन्स्टीटचूशनल सुप्रीमसी-ए रिविजिट' से उद्धृत करते हुए कहा गया है, "निर्णयों में निर्णयों और टिप्पणियों को यूक्लिड के प्रमेय या क़ानून के प्रावधानों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। न्यायिक कथन/घोषणाएं किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में होती हैं। किसी कानून के शब्दों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए न्यायाधीशों के लिए लंबे समय तक काम करना आवश्यक हो सकता है।

चर्चा, लेकिन इस तरह की चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है, परिभाषित करने के लिए नहीं। न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, उनके शब्दों की व्याख्या इस रूप में नहीं की जानी चाहिए

क़ानून "।

90. जैसा कि ऊपर देखा गया है, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 जैसे कानूनों के विपरीत, जो

सीमा अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि वे अदालत की कार्यवाही पर लागू होते हैं, मध्यस्थता कार्यवाही पर भी लागू होते हैं, आई. बी. सी. की धारा 238 ए

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही पर लागू सीमा अधिनियम 'जहाँ तक हो सके' और/या दूसरे शब्दों में, जिस हद तक वे लागू किए जा सकते हैं।

91. विधायिका ने अपने विवेक में सीमा अधिनियम के प्रावधानों को एन. सी. एल. टी. में कार्यवाही पर शब्दशः लागू नहीं करने का फैसला किया है। एन. सी. एल. ए. टी., लेकिन सचेत रूप से 'जहाँ तक हो सके' शब्दों का उपयोग किया।

‘ जहाँ तक 'हो सकता है' का अर्थ असंगत नहीं है। उन शब्दों को उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे विधान की विषय वस्तु और उस उद्देश्य के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य रखते हैं जो विधानमंडल के विचार में है। अदालतें उन शब्दों की व्याख्या नहीं करेंगी जो 'जहां तक हो सके' एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों को विफल कर देंगे।

92. दूसरे शब्दों में, सीमा अधिनियम के प्रावधान एन. सी. एल. टी. में आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही पर उत्परिवर्तन लागू करेंगे।

एनसीएलएटी। न्यू इंडिया शुगर मिल लिमिटेड बनाम में शाह जे को उद्धृत करने के लिए। बिक्री कर आयुक्त, बिहार ", यह कानूनों की व्याख्या का एक मान्यता प्राप्त नियम है कि इसमें उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति को सामान्य रूप से इस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे क़ानून के उद्देश्य के साथ सबसे अच्छा सामंजस्य रखते हैं, और जो विधानमंडल के उद्देश्य को प्रभावी बनाते हैं।

93. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बुशिंग श्मिटज़ प्राइवेट लिमिटेड बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। पी. टी. मेंघानी 1 1, न्यायालय को एक उद्देश्य उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि विधायी निरर्थकता को तब तक खारिज किया जाना चाहिए जब तक व्याख्यात्मक संभावना अनुमति देती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि

खंड को फिर से लिखने या विधानमंडल द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक शब्दों के स्थान पर शब्दों को प्रतिस्थापित करके, उपयोग की जाने वाली सादे भाषा में हिंसा करने की सीमा तक वस्तु उन्मुख दृष्टिकोण को नहीं चलाया जा सकता है।

94. आई. बी. सी. की धारा 238 ए में आने वाले 'जहां तक हो सके' शब्दों का उपयोग उपरोक्त धारा में 'होगा' शब्दों की कठोरता को कम करता है जिसे आम तौर पर अनिवार्य माना जाता है। 'जहाँ तक हो सके' अभिव्यक्ति इस तथ्य का संकेत है कि सीमा अधिनियम के सभी या कोई भी प्रावधान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं हो सकते हैं यदि वे आई. बी. सी. के कुछ प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से असंगत हैं। साथ ही, 'जहाँ तक हो' शब्दों को सीमा अधिनियम की धारा 14 के मूल सिद्धांतों की आवश्यकताओं के पूर्ण बहिष्करण के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन आवश्यक संशोधन द्वारा एक व्यापक, अधिक उदार, प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की अनुमति देता है, जो उक्त धारा के सिद्धांतों के अनुरूप है।

95. यदि आई. बी. सी. की धारा 7 या 9 के तहत कार्यवाही के संदर्भ में, धारा 14 की व्याख्या इसके शाब्दिक अर्थ के कठोर और पांडित्यपूर्ण पालन के साथ की जानी थी, तो यह अभिनिर्धारित किया जाना था कि न्यायालय में केवल दीवानी कार्यवाही ही होगी।

20 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1207 (P.1213) 21 ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1569 सेश नाथ सिंह बनाम।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र यह संभवतः विधायी इरादा नहीं हो सकता था। 96. हमारी सुविचारित राय में, इशरत अली के मामले में एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर है। के तहत कार्यवाही

सरफेसी अधिनियम, 2002 निस्संदेह दीवानी कार्यवाही है। एस. ए. एल. नारायण राव और अन्र. वी. इस न्यायालय की संविधान पीठ ईश्वरलाल भगवानदासंद ने कहा:

..... "दीवानी कार्यवाही" शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, न ही सामान्य खंड अधिनियम में। हमारे निर्णय में अभिव्यक्ति उन सभी कार्यवाहियों को शामिल करती है जिनमें एक पक्षकार

नागरिक कानून या क़ानून द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार के अस्तित्व का दावा करता है, और उसके उल्लंघन के लिए राहत का दावा करता है। दूसरी ओर आपराधिक कार्यवाही आम तौर पर ऐसी होती है जिसमें - अपने निष्कर्ष
पर पहुँचने पर इसके परिणामस्वरूप मृत्यु, कारावास, जुर्माना या संपत्ति की ज़ब्ती जैसी सजाएँ दी जा सकती हैं। इसमें ऐसी कार्यवाहियां भी शामिल हैं जिनमें राज्य के व्यापक हित में, शांति के कथित उल्लंघन को रोकने के आदेश, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरे वाले व्यक्तियों को बांधने के आदेश, या लापरवाही को रोकने के उद्देश्य से आदेश पारित करने पर विचार किया जाता है। लेकिन कार्यवाही का पूरा क्षेत्र, जो उच्च न्यायालयों तक पहुँचता है, कार्यवाही को दीवानी और न्यायिक के रूप में वर्गीकृत करने से समाप्त नहीं होता है।

अपराधी। कुछ कार्यवाही हैं जो हो सकती हैं -
न तो नागरिक माना जाता है और न ही अपराधी। उदाहरण के लिए, आगे बढ़ना

न्यायालय की अवमानना के लिए, और अनुशासन के प्रयोग के लिए वकीलों या अन्य पेशेवरों, जैसे कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के खिलाफ अधिकार क्षेत्र कार्यवाही, दीवानी या आपराधिक के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आ सकता है। लेकिन इस दृष्टिकोण के लिए कोई वारंट नहीं है कि दीवानी कार्यवाही की श्रेणी से, इसका उद्देश्य राज्य के कराधान कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित या उनसे राहत पाने वाली कार्यवाही को बाहर करना था।

97. तर्क की समानता पर, इस दृष्टिकोण के लिए कोई तर्क नहीं है कि

एक सुरक्षित लेनदार द्वारा एक उधारकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही

अपनी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सरफेसी अधिनियम, थे दीवानी कार्यवाही की श्रेणी से बाहर रखने का इरादा। इस संदर्भ में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। श्री दीपक साई द्वारा उद्धृत सत्यवती टंडन और Ors.23, जहाँ इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 11. ..... भारत सरकार ने स्वीकार किया कि

दोनों समितियों की सिफारिशें और जिसके कारण

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण का अधिनियम

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "सरफेसी अधिनियम"), जिसे कहा जा सकता है -

द्वारा उठाए गए सबसे कट्टरपंथी विधायी उपायों में से एक

सुरक्षित लेनदारों का बकाया सुनिश्चित करने के लिए संसद

बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित चूककर्ता उधारकर्ताओं से बिना किसी बाधा के वसूली की जाती है। पहली बार, सुरक्षित लेनदारों को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना अपने बकाया की वसूली के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया गया है।

न्यायाधिकरण '।

98. भले ही सरफेसी अधिनियम की धारा 13 एक सुरक्षित लेनदार को अपने पक्ष में बनाए गए सुरक्षा हित को लागू करने में सक्षम बनाती है, लेकिन अदालत या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, सरफेसी अधिनियम अदालतों और/या न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप को पूरी तरह से बाहर नहीं करता है। सर्फेसी अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

" 14. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने के लिए। (1) जहां किसी भी सुरक्षित संपत्ति का कब्जा सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया जाना आवश्यक है या यदि किसी भी सुरक्षित संपत्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा बेचा या स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है, तो सुरक्षित लेनदार, ऐसे किसी भी संपत्ति का कब्जा या नियंत्रण लेने के उद्देश्य से कर सकता है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जिनके अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसी कोई सुरक्षित संपत्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित या पाए जा सकते हैं, से लिखित रूप में अनुरोध किया जाता है

कि वह उन्हें अपने कब्जे में ले और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, उन्हें ऐसा अनुरोध किए जाने पर

(क) ऐसी संपत्ति और संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेना।

और; और

23 . (2010) 8 एस. सी. सी. 110 ईश नाथ सिंह बनाम।

बैदयावती शेराफुली को

ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(ख) ऐसी परिसंपत्ति और दस्तावेज सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करें:

बशर्ते कि सुरक्षित लेनदार द्वारा कोई भी आवेदन

एक शपथ पत्र के साथ विधिवत पुष्टि की जाए

सुरक्षित लेनदार का अधिकृत अधिकारी, यह घोषणा करते हुए कि

((i) दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि और

दाखिल करने की तारीख तक बैंक का कुल दावा

आवेदन;

((ii) उधारकर्ता ने विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति हित बनाया है और यह कि बैंक या वित्तीय संस्थान ऐसी संपत्तियों पर वैध और स्थायी प्रतिभूति हित रखता है और बैंक या वित्तीय संस्थान का दावा इसके अंतर्गत आता है।

सीमा अवधि;

(iii) उधारकर्ता ने विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति ब्याज बनाया है जिसमें उप-लेख में निर्दिष्ट संपत्तियों का विवरण दिया गया है।

ऊपर खंड (ii); ((iv) ऋणकर्ता ने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की है।

निर्दिष्ट को एकत्रित करते हुए दी गई वित्तीय सहायता

राशि; (v) वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में इस तरह के चूक के परिणामस्वरूप उधारकर्ता का खाता

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत;

(vi) यह पुष्टि करते हुए कि चूक की गई वित्तीय सहायता के भुगतान की मांग करने के लिए धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रावधानों द्वारा आवश्यक साठ दिनों के नोटिस की अवधि पूरी कर ली गई है।

उधारकर्ता पर;

इसलिए अधिकारी मूल अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का हकदार है। ((ix) कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन किया गया था:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि शपथ पत्र की प्राप्ति पर

प्राधिकृत अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, हलफनामे की सामग्री को संतुष्ट करने के बाद, आवेदन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के उद्देश्य से उपयुक्त आदेश पारित करेगा:

बशर्ते कि यह भी कि यदि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने नियंत्रण से परे कारणों के लिए तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो वह, इसके लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद, ऐसी आगे की अवधि के भीतर आदेश पारित कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर उससे अधिक नहीं।

महानगर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है, ((i) ऐसी परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेना; और

((ii) ऐसी परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को प्रतिभू को अग्रेषित करना।

लेनदार।

(2) अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदम उठा सकता है या उठाने का कारण बन सकता है और ऐसे बल का उपयोग कर सकता है, जो उसकी राय में आवश्यक हो।

(3) इस धारा के अनुसरण में किए गए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट [मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी] के किसी भी कार्य पर किसी भी अदालत में या किसी भी अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जाएगा।

प्राधिकरण।

17. सुरक्षित ऋणों की वसूली के उपायों के खिलाफ आवेदन। (1) कोई भी व्यक्ति (उधारकर्ता सहित), धारा 13 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी उपाय से व्यथित है जो सुरक्षित लेनदार या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा इस इशात सिंह v के तहत किया गया है।

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

अध्याय, उस तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, जिस दिन ऐसा उपाय किया गया था, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरण को ऐसे शुल्क के साथ, जो विहित किया जाए, आवेदन कर सकता है:

(2) ऋण वसूली न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या प्रतिभूति के प्रवर्तन के लिए प्रतिभूति लेनदार द्वारा धारा 13 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार हैं।

(3) यदि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्षय की जांच करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उप-धारा में निर्दिष्ट उपायों में से कोई भी

(4) सुरक्षित लेनदार द्वारा ली गई धारा 13 की धारा इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, और प्रबंधन की बहाली की आवश्यकता है या ऋणकर्ता या अन्य पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित परिसंपत्तियों के कब्जे की बहाली, वह आदेश द्वारा, -

(क) धारा 13 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक उपायों के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए उपाय को अमान्य घोषित करता है; और

(ख) सुरक्षित परिसंपत्तियों या प्रबंधन के कब्जे को बहाल करना।

उधारकर्ता या ऐसे अन्य पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित परिसंपत्तियों की, जिसने उप-धारा (1) के तहत आवेदन किया है,

जैसा भी मामला हो; और

(ग) धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा लिए गए किसी भी उपाय के संबंध में ऐसा अन्य निर्देश पारित करना जो वह उचित और आवश्यक समझे।

(4) यदि ऋण वसूली न्यायाधिकरण धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत किसी सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए गए उपाय को इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार घोषित करता है। इसके तहत किए गए, तब, कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सुरक्षित लेनदार [2021] 3 एस. सी. आर. में से एक या अधिक का सहारा लेने का हकदार होगा।

उसके सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत निर्दिष्ट उपाय। (4(अ) कहाँ

((i) कोई भी व्यक्ति, उप-धारा (1) के तहत आवेदन में, दावा करता है।

सुरक्षित परिसंपत्ति पर कोई पट्टा या पट्टा अधिकार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, मामले के तथ्यों और ऐसे दावों के संबंध में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्षय की जांच करने के बाद, सुरक्षा हित को लागू करने के उद्देश्यों के लिए, यह जांचने का अधिकार क्षेत्र होगा कि पट्टा या पट्टा अधिकार,

(ए) समाप्त हो गया है या निर्धारित किया गया है; या

(बी) संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 65 ए के विपरीत है; या

(ग) बंधक की शर्तों के विपरीत है; या (घ) अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत बैंक द्वारा चूक और मांग की सूचना जारी किए जाने के बाद बनाया गया है; और

((ख) ऋण वसूली न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि सुरक्षित संपत्ति में दावा किए गए किरायेदारी अधिकार या पट्टा धारक अधिकार खंड (i) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के अंतर्गत आते हैं, फिर इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जो अभी-अभी किसी अन्य कानून में निहित है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

धारा 17, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण को ऐसे शुल्क के साथ अपील कर सकती है, जो निर्धारित किया जाए। बशर्ते कि दाखिल करने के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जा सकते हैं

उधारकर्ता या उधारकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा अपील: बशर्ते कि किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उधारकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण में पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो। उससे देय ऋण की राशि, जैसा कि दावा किया गया है

सुरक्षित लेनदारों द्वारा या ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित, जो भी कम हो: बशर्ते कि अपीलीय सत्र नाथ सिंह v.

बैदयाबती शेराफुली को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

न्यायाधिकरण, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, राशि को घटाकर बीस-पाँच प्रतिशत से कम नहीं कर सकता है। कर्ज का

दूसरे परंतुक में संदर्भित।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां तक हो सके, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपील का निपटारा करेगा।

99. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए

सरफेसी अधिनियम, एक दीवानी न्यायालय/निष्पादन न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसलिए, सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही को अदालत में दीवानी कार्यवाही माना जाएगा। इसके अलावा, सर्फेसी के तहत कार्यवाही

धारा 13 (4) के तहत अधिनियम सरफेसी अधिनियम की धारा 18 के तहत डी. आर. टी. के लिए अपील योग्य हैं। श्री डेव का यह तर्क कि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत बहिष्करण के लिए योग्य नहीं होगी, क्योंकि वे कार्यवाही दीवानी न्यायालय में आयोजित नहीं की गई थी, कायम नहीं रखी जा सकती है।

100. एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम की धारा 238 ए की भाषा और अवधि को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह प्रथम दृष्टया किसी न्यायालय में हो या पक्षकार के खिलाफ अपील या संशोधन की, उसी राहत के लिए, किसी भी दीवानी कार्यवाही को, चाहे वह प्रथम दृष्टया हो, या अपीलीय, या पुनरीक्षणात्मक, एक ही पक्षकार के खिलाफ, समान राहत के लिए, शामिल करना होगा, जो सीमा अधिनियम के प्रावधानों को "जहां तक हो सके" लागू करता है।

101. हमारे सुविचारित विचार में, एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के दायरे और दायरे को ध्यान में रखते हुए, अभिव्यक्ति

' धारा 14 (2) में 'न्यायालय' को किसी भी न्यायाधिकरण या सरफेसी के तहत किसी भी मंच सहित दीवानी कार्यवाही के लिए कोई भी मंच माना जाएगा।

102. किसी भी मामले में, सीमा अधिनियम की धारा 5 और धारा 14 परस्पर अनन्य नहीं हैं। ऐसे मामले में भी जहां धारा 14 लागू नहीं होती है। सख्ती से लागू, धारा 14 के सिद्धांतों को उद्देश्यपूर्ण रूप से सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदक को राहत देने के लिए लागू किया जा सकता है।

इसका अर्थ 'पर्याप्त कारण' है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी क़ानून के सही खंड को संदर्भित करने की चूक किसी आदेश को दूषित नहीं करती है। दोहराव की कीमत पर यह दोहराया जाता है कि देरी को [2021] 3 एस. सी. आर. के बावजूद माफ किया जा सकता है।

103. हमारी सुविचारित राय में, एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही करने से इनकार कर दिया। एन. सी. एल. का निर्णय और आदेश हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अ

वमानना की अपील